



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक संवत्) [संख्या 33

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	449—462	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	669—700	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1569-1642	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

05 जनवरी, 2023 ई०

सं० 1009/दो-4-2022-26/2(5)/2011—महानिबन्धक Admin.(A-1), मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल०एल०एम० डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्रम सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
(सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)–					
1—	ईशा चौधरी, अपर सिविल जज (जू०डि०), अमरोहा	16112/IV- 4750/Admin.(A-1) दिनांक 15.12.2022	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।	एल०एल०एम०	2018
2—	मेघा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ।	16279/IV- 4493/Admin.(A-1) दिनांक 19.12.2022	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।	एल०एल०एम०	2017
3—	अंजलिका प्रियदर्शिनी, अपर सिविल जज (जू०डि०), इलाहाबाद।	16425/IV- 5260/Admin.(A-1) दिनांक 21.12.2022	डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।	एल०एल०एम०	2019
4—	न्यायधीश पंकज, सिविल जज (जू०डि०), बुलन्दशहर	16496/IV- 4350/Admin.(A-1) दिनांक 22.12.2022	दिल्ली विश्वविद्यालय।	एल०एल०एम०	2019

आज्ञा से,
सुनील कुमार,
विशेष सचिव।

23 फरवरी, 2024 ई०

सं० 86/दो-4-2024—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-1339/IV-4161/Admin.(A-1), दिनांक 30 जनवरी, 2024 के क्रम में मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर के प्रस्तर-31 के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती प्रियंका सिंह (Smt. Priyanka Singh), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद अयोध्या, फैजाबाद के स्थान पर बस्ती परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

24 अप्रैल, 2024 ई०

सं० 390/दो-4-2024-26/2(5)/2011—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल०एल०एम० डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्रम सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र-संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
सर्वश्री—					
1—	अगस्त कुमार तिवारी, मुख्य विधिक परामर्शी उ०प्र०, राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ	संख्या-4311/IV- 3260/एडमिन (ए-1) दिनांक 03 अप्रैल, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022
2—	रोहित सोनी, तत्कालीन सिविल जज (जू०डि०), गोण्डा सम्प्रति न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, तरबगंज, गोण्डा	संख्या-4696/IV- 5283/एडमिन (ए-1) दिनांक 09 अप्रैल, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022
3—	शिवेन्द्र शर्मा, सिविल जज (जू०डि०), मवाना, मेरठ	संख्या-4594/IV- 5291/एडमिन (ए-1) दिनांक 08 अप्रैल, 2024	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	एल०एल०एम०	2019
4—	अभिषेक कुमार सिंह, तत्कालीन सिविल जज (जू०डि०), मुरादाबाद सम्प्रति अपर सिविल जज (सी०डि०)/एसीजेएम, मुरादाबाद	संख्या-4750/IV- 4657/एडमिन (ए-1) दिनांक 10 अप्रैल, 2024	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	एल०एल०एम०	2023

06 मई, 2024 ई0

सं0 418/दो-4-2024-26/2(5)/2011—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री/डॉक्टरेट उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है—

क्रम सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
(सर्वश्री/श्रीमती)–					
1—	धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय, पीठासीन अधिकारी, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, फिरोजाबाद	संख्या-5357/IV- 4040/एडमिन (ए-1) दिनांक 23 अप्रैल, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022
2—	रूपाली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा	संख्या-5365/IV- 4856/एडमिन (ए-1) दिनांक 23 अप्रैल, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल0एल0एम0	2022
3—	लोकेश कुमार मिश्रा, अपर जिला जज (एफ0टी0सी0), ज्ञानपुर, भदोही	संख्या-5407/IV- 5469/एडमिन (ए-1) दिनांक 23 अप्रैल, 2024	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा- मध्य प्रदेश	एल0एल0एम0	2021
4—	सूर्य कांत धर दुबे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट	संख्या-5312/IV- 3967/एडमिन (ए-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2024	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	पी0एच0डी0	2024

2— उक्त तालिका के क्रम संख्या-4 पर अंकित न्यायिक अधिकारी के नाम के पहले डॉक्टर लिखे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

07 मई, 2024 ई0

सं0 529/दो-4-2024-26/2(5)/2011—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है—

क्रम सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	(सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)–				
1–	रवि कुमार, तत्कालीन सिविल जज (जू०डि०), हापुड़ सम्प्रति सिविल जज (सी०डि०), हापुड़	संख्या-5774/IV- 4572/एडमिन (ए-1) दिनांक 27 अप्रैल, 2024	भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली	एल०एल०एम०	2018
2–	शिखा यादव, तत्कालीन सिविल जज (सी०डि०), वाराणसी सम्प्रति अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी	संख्या-5850/IV- 4271/एडमिन (ए-1) दिनांक 29 अप्रैल, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2021
3–	सोनम गौतम, सिविल जज (जू०डि०), मथुरा	संख्या-5889/IV- 5274/एडमिन (ए-1) दिनांक 29 अप्रैल, 2024	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	एल०एल०एम०	2019

17 मई, 2024 ई०

सं० 544/दो-4-2024-26/2(5)/2011–महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल०एल०एम० डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है–

क्रम सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	(सर्वश्री/श्रीमती)–				
1–	समरीन फातिमा नोमानी, तत्कालीन अपर सिविल जज (जू०डि०), आजमगढ़ सम्प्रति अपर सिविल जज (जू०डि०), गाजियाबाद	संख्या-6496/IV- 4998/एडमिन (ए-1) दिनांक 09 मई, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022

1	2	3	4	5	6
	(सर्वश्री / श्रीमती)–				
2–	परविन्दर सिंह, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज सम्प्रति अपर सिविल जज (सी०डि०), देवबन्द, सहारनपुर	संख्या-6527/IV- 4492/एडमिन (ए-1) दिनांक 09 मई, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2021

आज्ञा से,
विजय कुमार संखवार,
विशेष सचिव।

विज्ञप्ति / नियुक्ति

21 मई, 2024 ई०

सं० 531 / दो-4-2024—लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2022 के आधार पर चयनित / संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को वेतनमान रु० 77,840-1,36,520 (पुराना वेतनमान रु० 27,700-770-35,090-920-40,450-1,080-44,770) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं०	लोक सेवा आयोग की सूची की क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	वर्तमान पता
1	2	3	4	5	6

(सर्वश्री / श्रीमती)–

1–	215-क	034696	SADAF IMRAN सदफ इमरान	श्री इमरान गाजी	50-बी, पॉकेट आर, दिलशाद गार्डन, दिल्ली, 110095
----	-------	--------	--------------------------	-----------------	---

2– उपरोक्त अभ्यर्थी की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

29 मई, 2024 ई०

सं० 559/दो-4-2022-26/2(5)/2011—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल०एल०एम० डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है—

क्रम सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
(सर्वश्री/श्रीमती)–					
1—	एकता सिंह-I, तत्कालीन अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अयोध्या सम्प्रति न्यायाधीश, स्पेशल कोर्ट, सी०बी०आई० कोर्ट नं०-6, लखनऊ	संख्या-6682/IV-3620/एडमिन (ए-1) दिनांक 14 मई, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022
2—	बृजेश कुमार सिंह, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या सम्प्रति रजिस्ट्रार (जे०) (अधि०), हाई कोर्ट, लखनऊ	संख्या-6654/IV-3648/एडमिन (ए-1) दिनांक 13 मई, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2023
3—	कपिल यादव, तत्कालीन सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फिरोजाबाद सम्प्रति अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), प्रतापगढ़	संख्या-6962/IV-5167/एडमिन (ए-1) दिनांक 17 मई, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2019

आज्ञा से,
विजय कुमार संखवार,
विशेष सचिव।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

06 जून, 2024 ई०

सं० 586/दो-4-2024—लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2022 के आधार पर चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को वेतनमान रु० 77,840-1,36,520 (पुराना वेतनमान रु० 27,700-770-35,090-920-40,450-1,080-44,770) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं०	लोक सेवा आयोग की सूची का क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्तमान पता
1	2	3	4	5	6
(सर्वश्री/श्रीमती)–					
1–	302	069845	AZAM RAHMANI आजम रहमानी	श्री नजम उज्जफर खान रहमानी	प्रोवेस्ट डॉ० बी०आर० अम्बेडकर हॉल, रूम नं०-17, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, उ०प्र०-202001

2– उक्त अभ्यर्थी की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

26 जून, 2024 ई०

सं० 577/दो-4-2024-02-4099/47/2023—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी द्वारा अर्जित की गई एल०एल०एम० डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है—

क्रम सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1–	श्रीमती भारती तायल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर	संख्या-7554/IV- 5078/एडमिन (ए-1) दिनांक 27 मई, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022

01 जुलाई, 2024 ई०

सं० 650/दो-4-2024-02-4099/47/2023—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी द्वारा अर्जित की गई एल०एल०एम० डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है—

क्रम सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री सौम्या द्विवेदी तत्कालीन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर नगर सम्प्रति अपर सिविल जज (जू०डि०), सिद्धार्थनगर	संख्या-8637/IV-4850/एडमिन (ए-1) दिनांक 20 जून, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022

आज्ञा से,
विजय कुमार,
विशेष सचिव।

नियुक्ति

08 जुलाई, 2024 ई०

सं० 684/दो-4-2024—लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2022 के आधार पर चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रु० 77,840-1,36,520 (पुराना वेतनमान रु० 27,700-770-35,090-920-40,450-1,080-44,770) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र० सं०	लोक सेवा आयोग की सूची का क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्तमान पता
1	2	3	4	5	6
(सर्वश्रीमती/सुश्री)–					
1	285	027204	ANKITA GOND अंकिता गोंड	श्री अक्षयबर नाथ गोंड	1/3, पोस्ट ऑफिस कालोनी, वाई ब्लॉक, किदवई नगर, जनपद-कानपुर नगर, उ०प्र०- 208011
2	287	017859	SONALI PRIYA GAUR सेनाली प्रिया गौड़	श्री हीरा लाल गौड़	आर०के० पुरम, हवेलिया झूंसी, जनपद-प्रयागराज, उ०प्र०- 211019
3	296	063169	KM SHIVANGI कु० शिवांगी	श्री अमन प्रसाद अमन	ग्राम-शेखपुर, पोस्ट-काजीपुर, थाना-सिकन्दरपुर, जनपद- बलिया, उ०प्र०-277303

1	2	3	4	5	6
(सर्वश्रीमती/सुश्री)–					
4	298	031346	CHARU MEHNDIRATTA चारु मेहंदीरत्ता	श्री जीत कुमार मेहंदीरत्ता	म०नं०-240, आदर्श नगर, खोड़ा कालोनी, जनपद-गाजियाबाद, उ०प्र०-201014
5	300	043068	JAGRITI जागृति	श्री राज कुमार राम	548वीं 258 विक्रम नगर, मानक नगर, जनपद-लखनऊ, उ०प्र०- 226011

2— उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट ए संख्या-4709/2024 कु० दीपा चौधरी बनाम मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3— उक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

23 जुलाई, 2024 ई०

सं० 710/दो-4-2024—लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2022 के आधार पर चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को वेतनमान रु० 77,840-1,36,520 (पुराना वेतनमान रु० 27,700-770-35,090-920-40,450-1,080-44,770) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं०	लोक सेवा आयोग की सूची की क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्तमान पता
1	2	3	4	5	6
1	291	030495	RANJANA DEVI रंजना देवी	श्री दशरथ पटेल	ग्राम-गौहानी, पोस्ट-भिखारीपुर कलां, जनपद-जौनपुर, उ०प्र०- 222143

2— उक्त अभ्यर्थी की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

02 अगस्त, 2024 ई०

सं० 707/दो-4-2024-02-4099/47/2023—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी द्वारा अर्जित की गई एल०एल०एम० डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है—

क्रम सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र-संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	श्री राम मणि पाठक, विशेष जज (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम), चित्रकूट	संख्या-9414/IV-3612/एडमिन (ए-1) दिनांक 09 जुलाई, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2023

22 अगस्त, 2024 ई०

सं० 723/दो-4-2024—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-6245/IV-3288/एडमिन(ए-1), दिनांक 06 मई, 2024 के क्रम में एम०जी०ओ० के प्रस्तर-250(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा श्री प्रवेज अख्तर (Pravez Akhtar) का नाम परिवर्तित कर परवेज अख्तर (Parvez Akhtar) किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

29 अगस्त, 2024 ई०

सं० 760/दो-4-2024-02-4099/47/2023—रजिस्ट्रार (जे) (बजट), मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी द्वारा अर्जित की गई साइबर लॉ, साइबर क्राइम इनवेस्टिगेशन एण्ड डिजिटल फोरेंसिक में पी०जी० डिप्लोमा को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है—

क्रम सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	रजिस्ट्रार (जे)(बजट), मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त-पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1—	श्री राजीव भारती, एच०जे०एस०, महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	संख्या-11034/IV-3534/एडमिन (ए-1) दिनांक 14 अगस्त, 2024	नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट युनिवर्सिटी, भोपाल	साइबर लॉ साइबर क्राइम इनवेस्टिगेशन एण्ड डिजिटल फोरेंसिक	2022

आज्ञा से,
विजय कुमार संखवार,
विशेष सचिव।

नियुक्ति

10 सितम्बर, 2024 ई०

सं० 806/दो-4-2024—लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा-2022 के आधार पर चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को वेतनमान रु० 77,840-1,36,520 (पुराना वेतनमान रु० 27,700-770-35,090-920-40,450-1,080-44,770) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं०	लोक सेवा आयोग की सूची की क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्तमान पता
1	2	3	4	5	6
(सर्वश्रीमती/सुश्री)–					
1—	295	015858	SHIV KUMAR YADAV शिव कुमार यादव	श्री संतर पाल यादव	ग्राम-पुठर, पोस्ट- अमीनगर सराय, जनपद-बागपत, उ०प्र०-250606

2— उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति थाना-सिंघावली अहीर, जनपद बागपत में पंजीकृत मु०अ०सं०-317/17 में जिला एवं सत्र न्यायालय, बागपत के समक्ष प्रस्तुत अंकित आख्या-32/2018, दिनांक 18 फरवरी, 2018 तथा वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 के सम्बन्ध में दर्ज परिवाद (Complain) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3— उक्त अभ्यर्थी की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप

19 सितम्बर, 2024 ई०

सं० 812/दो-4-2024-02-4099/47/2023—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश, न्यायिक सेवा के अधिकारी द्वारा अर्जित की गई एल०एल०एम० डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त-पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
(सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)–					
1—	अन्नू, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), नगीना-बिजनौर	संख्या-11693/IV- 4951/एडमिन (ए-1) दिनांक 31 अगस्त, 2024	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	एल०एल०एम०	2019

1	2	3	4	5	6
	(सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)–				
2–	राशि तोमर, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / ए.सी.जे.एम. रमाबाई नगर	संख्या-11695/IV- 4508/एडमिन (ए-1) दिनांक 31 अगस्त, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022
3–	मो० साजिद-I, तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूं सम्प्रति अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) / ए०सी०जे०एम०, आगरा	संख्या-11873/IV- 4303/एडमिन (ए-1) दिनांक 04 सितम्बर, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022
4–	मनु गुप्ता, तत्कालीन अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), रायबरेली सम्प्रति न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, ऊंचाहार-रायबरेली	संख्या-12074/IV- 5149/एडमिन (ए-1) दिनांक 06 सितम्बर, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022
5–	राजेश कुमार-III, अपर जिला जज, गोण्डा	संख्या-12143/IV- 2919/एडमिन (ए-1) दिनांक 07 सितम्बर, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2021
6–	श्रेया सोलंकी, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), रायबरेली	संख्या-12076/IV- 4930/एडमिन (ए-1) दिनांक 06 सितम्बर, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022

23 सितम्बर, 2024 ई०

सं० 778/दो-4-2024—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-11566/IV-4604/Admin.(A-1), दिनांक 29 अगस्त, 2024 के क्रम में मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर के प्रस्तर-31 के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त श्री स्वप्निल पाण्डेय (Sri Swapnil Pandey), अपर सिविल जज (सी०डि०), कन्नौज के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद लखनऊ के स्थान पर अम्बेडकर नगर परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

27 सितम्बर, 2024 ई०

सं० 822/दो-4-2024-02-4099/47/2023—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश, न्यायिक सेवा के अधिकारी द्वारा अर्जित की गई एल०एल०एम० डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त-पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंकिता सिंह—III तत्कालीन अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), आजमगढ़ सम्प्रति सिविल, जज (जूनियर डिवीजन), फतेहपुर	संख्या-12405/IV- 4799/एडमिन (ए-1) दिनांक 12 सितम्बर, 2024	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम०	2022

आज्ञा से,
विजय कुमार,
विशेष-सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

09 जुलाई, 2026 ई०

सं० 1776/आठ वि०भू०अ० (सं०सं०) वाराणसी-वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की लालपुर आवासीय योजना हेतु जिला वाराणसी, तहसील सदर, परगना शिवपुर, ग्राम-लालपुर (मीरापुर बसही) में स्थित कुल योग भूमि रकबा 195.67 वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं०-832 दिनांक 17 अप्रैल, 2026 को निर्गत की गयी थी तथा स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 29 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित किया गया था। उपजिलाधिकारी सदर, वाराणसी को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया है। जिनके द्वारा परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोंपरान्त धारा-19 (1) के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल 195.67 वर्गमीटर सार्वजनिक प्रायोजन हेतु आवश्यक है तथा उल्लिखित जिला वाराणसी, तहसील-सदर, परगना-शिवपुर, ग्राम-लालपुर (मीरापुर बसही) की उक्त अनुसूची में वर्णित क्षेत्रफल के अधिग्रहण फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

माननीय राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-(2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सांराश के प्रकाशन हेतु समुचित सरकार, जिला कलेक्टर, वाराणसी को निर्देशित करती है।

अनुसूची-क

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					वर्गमीटर—
वाराणसी	सदर	शिवपुर	लालपुर (मीरापुर बसही)	182/916	128.33
				458मि0	67.34
				योग .	195.67

अनुसूची-ख

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					वर्गमीटर—
वाराणसी	सदर	शिवपुर	लालपुर (मीरापुर बसही)	शून्य	शून्य

प्रशासक के आख्या दिनांक 27 जून, 2026 के अनुसार परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, वाराणसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
जिला कलेक्टर
वाराणसी।

VARANASI DEVELOPMENT AUTHORITY VARANASI**Format-19****(Sub-rule (1) of the Rule 27)**

Declaration By Appropriate Government/Collector

Under Sub-Section(1) of Section 19 of the Act

NOTIFICATION

July 09, 2026

No. 1776/आठ वि०भू०अ०अ० (सं०सं०) Varanasi—Whereas preliminary notification No-832 dated-17.04.2026 was issued under sub section (1) of Section 11 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation Act, 2013, in respect of 195.67 Square meter of land in village Lalpur (Meerapur Basahi), Pargana Shivpur, Tehsil-Sadar, District Varanasi is required for the public purpose, Varanasi Development Authority, Varanasi required by the Government of Uttar Pradesh for public purpose such as Development of Lalpur Housing Project. The Deputy Collector Sadar was appointed administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of project affected families.

After considering the report of the collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19 (1) of the Act, that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is needed for public purpose, village Lalpur (Meerapur Basahi), Pargana Shivpur, Tehsil-Sadar, District Varanasi, and no family is being displaced as a result of acquisition of 195.67 Square meter of land mentioned in the above.

The Governor is further pleased under sub-section (2) as section 19 of the Act, to direct the collector of Varanasi to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

District	Tehsil	Paragana	Village	Plot No.	Area To Be Acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Square meter</i>
Varanasi	Sadar	Shivpur	Lalpur (Meerapur Basahi)	182/916	128.33
				458 mi	67.34
				Total . .	195.67

SCHEDULE-B

District	Tehsil	Paragana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Square meter</i>
Varanasi	Sadar	Shivpur	Lalpur (Meerapur Basahi)	NIL	NIL

According to the Administrator report date 27-06-2026 no family is being displaced as result of land acquisition for the project.

NOTE- A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the office of the Collector, Varanasi.

(Sd.) Illegible,
Secretary/Authorised officer
District Collector
Varanasi.

क्रम सं०	जनपद	तहसील	राजस्व ग्राम/मुहल्ला का नाम	भवन संख्या	आराजी संख्या	प्रभावित भूमि/भवन का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						वर्गमीटर
1	वाराणसी	सदर	काशीपुरा	सी 1/23	793	49.335
2				सी1/21, सी 1/22	803	40.095
3				सी 1/19	-	47.000
4				सी 1/18-A	-	36.160
5				सी 1/18	-	22.471
6				सी 1/16, 17	-	21.125
7				सीके० 67/28	861	38.9725
8				सीके० 67/26	863	42.0563
9				सीके०67/8	877	4.075
					योग.	301.2898

1	2	3	4	5	6	7
						वर्गमीटर
10	वाराणसी	सदर	शहर खाश	सीके0 69/34	3408	0.84719
11				सीके0 69/32	3410	28.7575
12				सीके0 69/31-B	3411	20.1300
13				सीके0 69/31-A	3411	22.8130
14				सीके0 69/30	3412	4.4556
15				सीके0 69/29	3413	44.723
16				सीके0 69/28	3415	9.4544
17				सीके0 69/27	3416	20.8644
18				सीके0 69/26	3417	4.3388
19				सीके0 69/25	3418	7.9070
20				सीके0 69/4	7239	31.270
21				सीके 043/184+ 183+185+78	7251	4.000
22				सीके 043/184+ 183+185+78	7252	3.9272
23				सीके0 43/172	-	14.630
24				सीके0 43/160-बी	-	25.9375
25				सीके0 43/160-ए	-	17.820
26				सीके0 43/159, 43/160	-	43.560
27				सीके0 43/158	-	36.106
28				सीके0 43/157	-	41.875
29				सीके0 43/155	-	20.770
30				सीके0 43/153 व 149	-	6.2225
31				सीके0 43/148	-	27.840
32				सीके0 43/121	-	41.561
33				सीके0 43/120	-	11.5333
34				सीके0 43/119	-	24.3375
35				सीके0 43/115	-	43.800
36				सीके0 43/114	-	43.0517
37				सीके0 43/113-ए	-	18.120

1	2	3	4	5	6	7
						वर्गमीटर
38	वाराणसी	सदर	शहर खास	सीके० 43/112	-	12.760
39				D.50/203-K	7351	21.150
40				D.50/209-D-1	7357	1.9710
41				D.50/210	7358	34.980
42				D.50/212	7361	41.920
43				D.50/213	7362	21.928
44				D.50/213	7363	21.928
45				D.50/214,215	7364	3.2063
46				D.50/214,215	7365	3.2063
47				D.50/216	7366	20.460
48				D.50/217, 218	7367	40.4250
49				D.50/219	7368	1.1200
50				D.50/221	7459	34.1366
51				D.50/222+222-A	7461	36.3375
52				D.50/222+222-A	7462	36.3375
53				D.50/224+225	7466	2.7248
54				D.50/229, 229-A	-	113.050
55				D.50/249+248	7471/11576	35.5165
56				D.50/249+248	7704	35.5165
57				D.50/250	7705	34.519
58				सीके० 42/4	7710	27.50
59				सीके० 42/4	7711	27.550
60				सीके० 42/5,6,6-A	7712	51.998
61				सीके० 42/11	7782	5.2200
62				सीके० 42/88	7785	32.640
63				सीके० 42/89	7787	26.200
64				सीके० 42/93,92	7790	62.3333
65				सीके० 42/96-ए (42/96+4, 97+4)	7793	26.112
66				सीके० 42/100,101	7795	46.567

1	2	3	4	5	6	7
						वर्गमीटर
67				सीके० 42/100,101	7796	46.567
68				सीके० 42/100,101	7797	46.567
69				सीके० 42/105	7800	30.600
70				सीके० 40/71	7934	24.235
71				सीके० 40/73	7936	28.600
72				सीके० 40/79	7941	27.090
73				सीके० 39/1	7945	5.6238
74				सीके० 39/1	7946	4.000
75				सीके० 39/12	7956	7.470
76				सीके० 39/16/17	-	46.230
77				सीके० 39/74+76/43, सीके० 39/74+ 76/39+42	-	63.680
78				सीके० 39/70	-	14.260
79				सीके० 39/71	-	11.8950
80				सीके० 39/73	-	5.550
					योग. .	1842.33
					सम्पूर्ण योग. .	2143.62 वर्गमी०
						अर्थात् 0.214362 हे०

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
वाराणसी	सदर	देहात अमानत	शकाशीपुरा	—	—
			शहर खास	—	—

प्रशासक के आख्या दिनांक 01 अगस्त, 2026 के अनुसार परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा जनपद वाराणसी के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर/समुचित सरकार
वाराणसी।

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
						<i>In Square Meter</i>
10	Varanasi	Sadar	Shahar Khas	CK- 69/34	3408	0.84719
11				CK- 69/32	3410	28.7575
12				CK- 69/31-B	3411	20.1300
13				CK- 69/31-A	3411	22.8130
14				CK- 69/30	3412	4.4556
15				CK- 69/29	3413	44.723
16				CK- 69/28	3415	9.4544
17				CK- 69/27	3416	20.8644
18				CK- 69/26	3417	4.3388
19				CK- 69/25	3418	7.9070
20				CK- 69/4	7239	31.270
21				CK- 3/184+	7251	4.000
				183+185+78		
22				CK-43/184+	7252	3.9272
				183+185+78		
23				CK- 43/172	-	14.630
24				CK- 3/160-B	-	25.9375
25				CK-43/160-A	-	17.820
26				CK- 43/159, 43/160	-	43.560
27				CK- 43/158	-	36.106
28				CK-43/157	-	41.875
29				CK- 43/155	-	20.770
30				CK- 43/153, 149	-	6.2225
31				CK- 43/148	-	27.840
32				CK- 43/121	-	41.561
33				CK- 43/120	-	11.5333
34				CK-43/119	-	24.3375
35				CK- 43/115	-	43.800
36				CK- 43/114	-	43.0517
37				CK-43/113-A	-	18.120
38				CK-43/112	-	12.760

1	2	3	4	5	6	7
						<i>In Square Meter</i>
39	Varanasi	Sadar	Shahar Khas	D.50/203-K	7351	21.150
40				D.50/209-D-1	7357	1.9710
41				D.50/210	7358	34.980
42				D.50/212	7361	41.920
43				D.50/213	7362	21.928
44				D.50/213	7363	21.928
45				D.50/214,215	7364	3.2063
46				D.50/214,215	7365	3.2063
47				D.50/216	7366	20.460
48				D.50/217, 218	7367	40.4250
49				D.50/219	7368	1.1200
50				D.50/221	7459	34.1366
51				D.50/222+222-A	7461	36.3375
52				D.50/222+222-A	7462	36.3375
53				D.50/224+225	7466	2.7248
54				D.50/229, 229-A	-	113.050
55				D.50/249+248	7471/11576	35.5165
56				D.50/249+248	7704	35.5165
57				D.50/250	7705	34.519
58				CK- 42/4	7710	27.50
59				CK-42/4	7711	27.550
60				CK- 42/5,6,6-A	7712	51.998
61				CK- 42/11	7782	5.2200
62				CK- 42/88	7785	32.640
63				CK- 42/89	7787	26.200
64				CK- 42/93,92	7790	62.3333
65				CK- 42/96-A (42/96+4, 97+4)	7793	26.112
66				CK-42/100,101	7795	46.567
67				CK-42/100,101	7796	46.567
68				CK-42/100,101	7797	46.567
69				CK- 42/105	7800	30.600

1	2	3	4	5	6	7
						<i>In Square Meter</i>
70	Varanasi	Sadar	Shahar Khas	CK- 40/71	7934	24.235
71				CK-40/73	7936	28.600
72				CK- 40/79	7941	27.090
73				CK-39/1	7945	5.6238
74				CK-39/1	7946	4.000
75				CK- 39/12	7956	7.470
76				CK-39/16/17	-	46.230
77				CK- 39/74+76/43, CK-39/74+76/39+42	-	63.680
78				CK- 39/70	-	14.260
79				CK-39/71	-	11.8950
80				CK-39/73	-	5.550
Total. .						1842.33
Grand Total. .						2143.62 Sq.M.
						or 0.214362 Hec.

SCHEDULE-B

(Land identified as settelment area for displaced families)

Sl. No.	District	Tehsil	Paragana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectare</i>
1	Varanasi	Sadar	Dehat Amanat	Kashipura	NIL	NIL
				Shahar Khas	NIL	NIL

According to the Administrator report date 01-08-2026, not any families is being displaced as result of land acqusition for the project.

NOTE- A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the office of the Collector, Varanasi.

(Sd.) Illegible,
Collector
Varanasi.

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी**प्रारूप-18****नियम-20 का उपनियम (2)****समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना
(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)**

03 अगस्त, 2026 ई०

सं० 1899-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद वाराणसी के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के माध्यम से जनपद में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु ग्राम-मढ़नी, परगना-जाल्हूपुर, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी में प्रस्तावित कुल भूमि रकबा-17.0617 हे० की स्थायी भूमि की आवश्यकता है।

2- सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी हिमालया रिसोर्स मैनेजमेन्ट सेन्टर द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। अध्ययन रिपोर्ट का आंकलन विशेषज्ञ समूह द्वारा किया गया, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2026 को अनुमोदित किया गया है।

3- सामाजिक समाघात रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है-

I- जनपद वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहर के समग्र एवं समुचित विकास के लिये परियोजना में प्रभावित ग्राम-मढ़नी, परगना-जाल्हूपुर, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी में नई टाउनशीप विकसित किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि रकबा- 17.0617 हे० का अर्जन/अधिग्रहण किया जाना लोक प्रयोजन की श्रेणी में है।

II- परियोजना का चयन स्थल "लोकेशन एडवान्टेज" रखता है और रिंगरोड से जुड़ाव के कारण नियोजित टाउनशीप के लिए उपयोगी है।

4- भूमि-अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं०-414/एक-13-2014-7क(8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014, के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5- अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	वाराणसी	सदर	जाल्हूपुर	मढ़नी	40	0.2332
2					41	0.0285
3					42	0.0807
4					43	0.1580
5					45	0.1420

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
6	वाराणसी	सदर	जाल्हूपुर	मढ़नी	46	0.1080
7					47	0.0570
8					48	0.0177
9					49	0.5300
10					50	0.0365
11					52	0.0130
12					54	0.0280
13					57	0.0530
14					79	0.0316
15					81	0.0045
16					83	0.5010
17					86	0.2140
18					88	0.4250
19					135	0.1276
20					141	0.0530
21					142	0.1090
22					143	0.4210
23					144	0.2460
24					147	0.2350
25					148	0.0761
26					151	0.2324
27					366	0.0033
28					368	0.0998
29					369	0.0502
30					373	0.0200
31					379	0.0254
32					382	0.5188
33					383	0.0453
34					393	0.0120

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
35	वाराणसी	सदर	जाल्हापुर	मढ़नी	396	0.0040
36					397	0.0040
37					398	0.0007
38					451/1	0.0250
39					451/2	0.8690
40					455	0.4420
41					456	0.0506
42					457	0.2140
43					460	0.0990
44					461	0.3160
45					462	0.0495
46					463	0.0610
47					465	0.1300
48					466	0.3560
49					467	0.2652
50					468	0.1300
51					471	0.0022
52					473	0.0930
53					474	0.3000
54					475	0.1758
55					476	0.1980
56					477	0.0810
57					479	0.0253
58					489	0.8020
59					492	0.2296
60					493	0.0176
61					494	0.1070
62					496	0.0421
63					497	1.0840

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
64	वाराणसी	सदर	जाल्हूपुर	मढ़नी	499 क	0.0524
65					499 ज	0.1449
66					501	0.1096
67					503	0.8130
68					505	0.2950
69					506	0.0240
70					507	0.0250
71					510	0.0240
72					511	0.0200
73					512	0.0240
74					514	0.2637
75					516	0.0530
76					519	0.5700
77					520	0.2530
78					521	0.0300
79					528	0.0732
80					529	0.0154
81					533	0.6640
82					536	0.0599
83					537	0.2387
84					539	0.0450
85					540	0.0737
86					541	0.0530
87					542	0.0721
88					543	0.0246
89					544	0.5323
90					545 मि०	0.0612
91					546	0.1290
92					547	0.0700

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
93	वाराणसी	सदर	जाल्हूपुर	मढ़नी	550	0.0167
94					552	0.3838
95					557	0.0130
96					651	0.0610
97					652	0.1139
98					655 ख	0.0017
99					655 ज	0.0090
100					656 ख	0.2090
101					657	0.0884
102					658	0.0770
103					660 क	0.0005
104					660 ख	0.0240
105					663	0.0052
106					664	0.0022
107					665	0.0316
108					79/679	0.0428
109					145/694	0.0580
योग .						17.0617

6— अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

7— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, वाराणसी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, वाराणसी के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, वाराणसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
राज्य सरकार/जिला कलेक्टर
वाराणसी।

**DEPARTMENT VARANASI DEVELOPMENT AUTHORITY, VARANASI
FORM-18**

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

August 03, 2026

No. 1899—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Where as The Government of Uttar Pradesh/Collector For the planned development of district-Varanasi under the Chief Minister Urban Expansion/ New City Development Scheme. District Collector Varanasi is satisfied that a total Area of 17.0617 Hectares of land is required in the Village Madani, Pargana Jalhupur, Tehsil Sadar, District Varanasi, for the Public Purpose, Madani Township Scheme, through Varanasi Development Authority.

2- Social Impact Assessment study was carried out by Himalaya Resource Management Center, 116, Rajeshwar Nagar, Phase-II, Village & P.O. Gujrada, Sahashradhara Road, Dehradun-248001, (UKD) and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendations on dated 03-08-2026

3- The summary of Social Impact Assessment as follows:-

I- In district Varanasi, under the Chief Minister Urban Extension/New City Development Scheme of Varanasi Development Authority, for the overall and proper development of the new city, the acquisition of proposed land area-17.0617 hectare for developing a new township in the village-Madhani, Pargana-Jalhupur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi is in the category of public purpose.

II- The selected site of the project has "location advantage" and it is suitable for planned township due to its connectivity to the ring road.

4- There is no possibility of any family being displaced in the village in question due to the land acquisition.

In the sequence of Government Order No. 0-414/One-13-2014-7A(8)/2014 Lucknow dated 06 August 2014, issued by the Government of Uttar Pradesh, The Sub-Divisional Officer, Sadar is appointed as "Administrator" for the purpose of "Rehabilitation and Resettlement" of the affected families.

5- Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
1.	Varanasi	Sadar	Jalhupur	Madani	40	0.2332
2.					41	0.0285
3.					42	0.0807
4.					43	0.1580
5.					45	0.1420

1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
6.	Varanasi	Sadar	Jalhupur	Madani	46	0.1080
7.					47	0.0570
8.					48	0.0177
9.					49	0.5300
10.					50	0.0365
11.					52	0.0130
12.					54	0.0280
13.					57	0.0530
14.					79	0.0316
15.					81	0.0045
16.					83	0.5010
17.					86	0.2140
18.					88	0.4250
19.					135	0.1276
20.					141	0.0530
21.					142	0.1090
22.					143	0.4210
23.					144	0.2460
24.					147	0.2350
25.					148	0.0761
26.					151	0.2324
27.					366	0.0033
28.					368	0.0998
29.					369	0.0502
30.					373	0.0200
31.					379	0.0254
32.					382	0.5188
33.					383	0.0453
34.					393	0.0120
35.					396	0.0040
36.					397	0.0040

1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
37.	Varanasi	Sadar	Jalhupur	Madani	398	0.0007
38.					451/1	0.0250
39.					451/2	0.8690
40.					455	0.4420
41.					456	0.0506
42.					457	0.2140
43.					460	0.0990
44.					461	0.3160
45.					462	0.0495
46.					463	0.0610
47.					465	0.1300
48.					466	0.3560
49.					467	0.2652
50.					468	0.1300
51.					471	0.0022
52.					473	0.0930
53.					474	0.3000
54.					475	0.1758
55.					476	0.1980
56.					477	0.0810
57.					479	0.0253
58.					489	0.8020
59.					492	0.2296
60.					493	0.0176
61.					494	0.1070
62.					496	0.0421
63.					497	1.0840
64.					499 K	0.0524
65.					499 G	0.1449

1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
66.	Varanasi	Sadar	Jalhupur	Madani	501	0.1096
67.					503	0.8130
68.					505	0.2950
69.					506	0.0240
70.					507	0.0250
71.					510	0.0240
72.					511	0.0200
73.					512	0.0240
74.					514	0.2637
75.					516	0.0530
76.					519	0.5700
77.					520	0.2530
78.					521	0.0300
79.					528	0.0732
80.					529	0.0154
81.					533	0.6640
82.					536	0.0599
83.					537	0.2387
84.					539	0.0450
85.					540	0.0737
86.					541	0.0530
87.					542	0.0721
88.					543	0.0246
89.					544	0.5323
90.					545 mi	0.0612
91.					546	0.1290
92.					547	0.0700
93.					550	0.0167
94.					552	0.3838

1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
95.	Varanasi	Sadar	Jalhupur	Madani	557	0.0130
96.					651	0.0610
97.					652	0.1139
98.					655 Kh	0.0017
99.					655 G	0.0090
100.					656 Kh	0.2090
101.					657	0.0884
102.					658	0.0770
103.					660 K	0.0005
104.					660 Kh	0.0240
105.					663	0.0052
106.					664	0.0022
107.					665	0.0316
108.					79/679	0.0428
109.					145/694	0.0580
Grand Total. .						17.0617

6- The Hon'ble Governor is also pleased to authorize the Collector, district Varanasi for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon, conduct survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil into and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7- Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8- Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/ purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE- A plan of land may be inspected in the office of the Collector, For the purpose of acquisition.

(Sd.) Illegible,
State Government/Collector,
Varanasi.

कार्यालय, बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

राजस्व विभाग

प्रारूप-18

[नियम-20 का उप नियम (2)]

समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

17 जून, 2026 ई०

सं० 159/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०)बुलन्दशहर-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उ०प्र०/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी शाखा के अन्तर्गत अल्पिका ढकौली के गैप पूर्ण करने हेतु जनपद व तहसील बुलन्दशहर ग्राम ढकौली में कुल 1.6667 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3-राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	बरन	ढकौली	33	0.0016
2	"	"	"	"	499 / 1	0.1241
3	"	"	"	"	499 / 2	0.0015
4	"	"	"	"	501	0.0330
5	"	"	"	"	500	0.1360
6	"	"	"	"	504	0.1360
7	"	"	"	"	532 / 1	0.0015
8	"	"	"	"	532 / 2	0.0350
9	"	"	"	"	533	0.0050
10	"	"	"	"	534	0.0065
11	"	"	"	"	531	0.0474
12	"	"	"	"	530	0.1955
13	"	"	"	"	223	0.0180
14	"	"	"	"	227 / 1	0.0072

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
15	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	बरन	ढकौली	227 / 3 / 2	0.0804
16	"	"	"	"	227 / 4	0.0300
17	"	"	"	"	280	0.0720
18	"	"	"	"	275 / 4	0.0900
19	"	"	"	"	275 / 2	0.0270
20	"	"	"	"	274	0.1200
21	"	"	"	"	271	0.0480
22	"	"	"	"	270 / 2	0.0360
23	"	"	"	"	289 / 2	0.0336
24	"	"	"	"	290 / 1	0.0600
25	"	"	"	"	290 / 2	0.0120
26	"	"	"	"	265	0.0180
27	"	"	"	"	299 / 1	0.0336
28	"	"	"	"	299 / 2	0.0100
29	"	"	"	"	300 / 2	0.0678
30	"	"	"	"	301	0.0660
31	"	"	"	"	302	0.0720
32	"	"	"	"	304	0.0252
33	"	"	"	"	303 / 2	0.0168
योग						1.6667

4-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्य सरकार/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

OFFICE OF THE, DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSHAHR**Revenue Department**

Form-18

[Sub-rule (2) of Rule 20]

Preliminary Notification by the Appropriate

Government / Collector

[Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act]

Notification

June 17, 2026

No. 159/ VIII-S.L.A.O. (J.O.) Bulandshahr-1--Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Uttar Pradesh / Collector (for the purposes of the appropriate Government) is of the opinion that a total of 1.6667 hectares of land is required in the district and tehsil Bulandshahr village Dhakauli to fill the gap of Alpika Dhakauli under the Lakhavati branch proposed by Madhya Ganga Canal Construction Block-10, Bulandshahr.

2- There is no possibility of displacement of any family due to land acquisition.

3- The State Government/Collector hereby accords its consent to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purpose-

Schedule

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot Number	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
1	Bulandshahr	Bulandshahr	Baran	Dhakauli	33	0.0016
2	"	"	"	"	499/1	0.1241
3	"	"	"	"	499/2	0.0015
4	"	"	"	"	501	0.0330
5	"	"	"	"	500	0.1360
6	"	"	"	"	504	0.1360
7	"	"	"	"	532/1	0.0015
8	"	"	"	"	532/2	0.0350
9	"	"	"	"	533	0.0050
10	"	"	"	"	534	0.0065
11	"	"	"	"	531	0.0474
12	"	"	"	"	530	0.1955
13	"	"	"	"	223	0.0180

1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
14	Bulandshahr	Bulandshahr	Baran	Dhakauli	227/1	0.0072
15	"	"	"	"	227/3/2	0.0804
16	"	"	"	"	227/4	0.0300
17	"	"	"	"	280	0.0720
18	"	"	"	"	275/4	0.0900
19	"	"	"	"	275/2	0.0270
20	"	"	"	"	274	0.1200
21	"	"	"	"	271	0.0480
22	"	"	"	"	270/2	0.0360
23	"	"	"	"	289/2	0.0336
24	"	"	"	"	290/1	0.0600
25	"	"	"	"	290/2	0.0120
26	"	"	"	"	265	0.0180
27	"	"	"	"	299/1	0.0336
28	"	"	"	"	299/2	0.0100
29	"	"	"	"	300/2	0.0678
30	"	"	"	"	301	0.0660
31	"	"	"	"	302	0.0720
32	"	"	"	"	304	0.0252
33	"	"	"	"	303/2	0.0168
Total . .						1.6667

4-Directives are issued to authorize the State Government/Collector to undertake all necessary actions for the proper implementation of the Act and its associated functions.

5-Under Section 15 of the Act, any person having an interest in the land may submit a written objection to the Collector against the land acquisition within their area, within 60 days from the date of publication of the notification.

6-Under Section 11(4) of the Act, no person shall from the date of publication of the notification until the completion of the land acquisition proceedings enter into any transaction regarding, or effect the sale/purchase of, the land specified in the preliminary notification, nor create any encumbrance upon such land, without the prior approval of the Collector.

Note: A site map of the aforesaid land may be inspected at the office of the Collector.

(Sd.) Illegible,
District Magistrate
Bulandshahr.

कार्यालय, बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

राजस्व विभाग

प्रारूप-18

[नियम-20 का उप नियम (2)]

समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

28 जून, 2026 ई०

सं० 182/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) बुलन्दशहर-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) अधीन उ०प्र०/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी शाखा के अन्तर्गत अल्पिका जहांगीराबाद के गैप पूर्ण करने हेतु परगना व तहसील अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर ग्राम जहांगीराबाद में कुल 1.82592 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3-राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	बुलन्दशहर	अनूपशहर	अनूपशहर	जहांगीराबाद	897	0.0240
2	"	"	"	"	900	0.1530
3	"	"	"	"	1694 मि०	0.02692
4	"	"	"	"	1690 मि०	0.0405
5	"	"	"	"	1695 स	0.0060
	"	"	"	"	1695 मि०	0.0060
6	"	"	"	"	1699	0.0500
7	"	"	"	"	1686	0.0585
	"	"	"	"	1686 मि०	
	"	"	"	"	1686 मि०	
8	"	"	"	"	1706	0.0075
9	"	"	"	"	1702	0.0888

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
10	बुलन्दशहर	अनूपशहर	अनूपशहर	जहांगीराबाद	1705	0.3738
11	"	"	"	"	1717	0.2538
12	"	"	"	"	1733	0.3915
13	"	"	"	"	1731 स	0.1350
14	"	"	"	"	1883	0.0720
15	"	"	"	"	1884 स	0.0225
16	"	"	"	"	1888 स	0.0540
17	"	"	"	"	1889 स	0.0405
	बुलन्दशहर	अनूपशहर	अनूपशहर	जहांगीराबाद	1889 स	
	"	"	"	"	1889 स	
	"	"	"	"	1889 स	
	"	"	"	"	1889 स	
	"	"	"	"	1889 स	
	"	"	"	"	1889 स	
18	"	"	"	"	1893 स	0.0216
	"	"	"	"	1893 स	
योग						1.82592

4-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्य सरकार/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

OFFICE OF THE, DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSHAHR**Revenue Department**

Form-18

[Sub-rule (2) of Rule 20]

Preliminary Notification by the Appropriate

Government / Collector

[Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act]

Notification

June 28, 2026

No. 182/ VIII-S.L.A.O. (J.O.) Bulandshahr-1--Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Uttar Pradesh / Collector (for the purposes of the appropriate Government) is of the opinion that a total of 1.82592 hectares of land is required in village Jahangirabad, Pargana and Tehsil Anupshahar, District Bulandshahr, to fill the gap of Alpika Jahangirabad under Lakhavati branch proposed by Madhya Ganga Canal Construction Block-10, Bulandshahr.

2. There is no possibility of displacement of any family due to land acquisition.

3. The State Government/Collector hereby accords its consent to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purpose.

Schedule

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot Number	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
1	Bulandshahr	Anupshahar	Anupshahar	Jahangirabad	897	0.0240
2	"	"	"	"	900	0.1530
3	"	"	"	"	1694 मि०	0.02692
4	"	"	"	"	1690 मि०	0.0405
5	"	"	"	"	1695 स	0.0060
	"	"	"	"	1695 मि०	0.0060
6	"	"	"	"	1699	0.0500
7	"	"	"	"	1686	0.0585
	"	"	"	"	1686 मी०	
	"	"	"	"	1686 मी०	
8	"	"	"	"	1706	0.0075
9	"	"	"	"	1702	0.0888

1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
10	Bulandshahr	Anupshahar	Anupshahar	Jahangirabad	1705	0.3738
11	"	"	"	"	1717	0.2538
12	"	"	"	"	1733	0.3915
13	"	"	"	"	1731 स	0.1350
14	"	"	"	"	1883	0.0720
15	"	"	"	"	1884 स	0.0225
16	"	"	"	"	1888 स	0.0540
17	"	"	"	"	1889 स	0.0405
					1889 स	
					1889 स	
					1889 स	
					1889 स	
					1889 स	
					1889 स	
					1889 स	
18	"	"	"	"	1893 स	0.0216
					1893 स	
Total . .						1.82592

4. Directives are issued to authorize the State Government/Collector to undertake all necessary actions for the proper implementation of the Act and its associated functions.

5. Under Section 15 of the Act, any person having an interest in the land may submit a written objection to the Collector against the land acquisition within their area, within 60 days from the date of publication of the notification.

6. Under Section 11(4) of the Act, no person shall from the date of publication of the notification until the completion of the land acquisition proceedings enter into any transaction regarding, or effect the sale/purchase of, the land specified in the preliminary notification, nor create any encumbrance upon such land, without the prior approval of the Collector.

Note: A site map of the aforesaid land may be inspected at the Office of the Collector.

(Sd.) Illegible,
District-Magistrate,
Bulandshahr.

कार्यालय, बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

राजस्व विभाग

प्रारूप-18

[नियम-20 का उप नियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

28 जून, 2026 ई०

सं० 181/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) बुलन्दशहर-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) अधीन उ०प्र०/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी शाखा के अन्तर्गत अल्पिका भाईपुरा के गैप पूर्ण करने हेतु तहसील अनूपशहर व जनपद बुलन्दशहर ग्राम होषियारपुर उर्फ अंधियार में कुल 1.0473 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2- भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3- राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्र (हे० में)
1.	बुलन्दशहर	अनूपशहर	अनूपशहर	होषियारपुर उर्फ अंधियार	173	0.0248
2.	"	"	"	"	249	0.0248
3.	"	"	"	"	250	0.0248
4.	"	"	"	"	255	0.0248
5.	"	"	"	"	273	0.0248
6.	"	"	"	"	272	0.0248
7.	"	"	"	"	324	0.0248
8.	"	"	"	"	350	0.0248
9.	"	"	"	"	408	0.0248
10.	"	"	"	"	344	0.0248
11.	"	"	"	"	346	0.0248
12.	"	"	"	"	347	0.0248
13.	"	"	"	"	409	0.0248
14.	"	"	"	"	411	0.0248
					योग	1.0473

4-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्य सरकार/ कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर।

OFFICE OF THE, DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSHAHR

Revenue Department

Form-18

[Sub-rule (2) of Rule 20]

Preliminary Notification by the Appropriate

Government / Collector

[Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act]

Notification

June 28, 2026

No. 181/ VIII-S.L.A.O. (J.O.) Bulandshahr--1-In exercise of the powers under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Collector (acting on behalf of the appropriate government) is of the opinion that a total of 1.0473 hectares of land is required in Village Hoshiyarpur *urf* Andhiyarpur, Tehsil-Anupshahr, District-Bulandshahr, to bridge the gap in the Bhaipura Minor part of the Lakhawati Branch proposed by the Madhyaganga Canal Construction Division-10, Bulandshahr.

2- There is no likelihood of any family being displaced due to the land acquisition.

3- The State Government / Collector hereby grants consent to notify the land specified in the following schedule for public purposes, for general information-

Schedule

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot Number	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
1	Bulandshahr	Anupshahr	Anupshahr	Hoshiyarpur <i>urf</i> Andhiyar	173	0.0248
2	"	"	"	"	249	0.0248

1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
3	Bulandshahr	Anupshahr	Anupshahr	Hoshiyarpur urf Andhiyar	250	0.0248
4	"	"	"	"	255	0.0248
5	"	"	"	"	273	0.0248
6	"	"	"	"	272	0.0248
7	"	"	"	"	324	0.0248
8	"	"	"	"	350	0.0248
9	"	"	"	"	408	0.0248
10	"	"	"	"	344	0.0248
11	"	"	"	"	346	0.0248
12	"	"	"	"	347	0.0248
13	"	"	"	"	409	0.0248
14	"	"	"	"	411	0.0248
Total . .						1.0473

4- Directives are issued to authorize the State Government/Collector to undertake all necessary actions for the proper implementation of the Act and its associated functions.

5-Under Section 15 of the Act, any person having an interest in the land may submit a written objection to the Collector against the land acquisition within their area, within 60 days from the date of publication of the notification.

6-Under Section 11(4) of the Act, no person shall from the date of publication of the notification until the completion of the land acquisition proceedings enter into any transaction regarding, or effect the sale/purchase of, the land specified in the preliminary notification, nor create any encumbrance upon such land, without the prior approval of the Collector.

Note: A site map of the aforesaid land may be inspected at the Office of the Collector.

(Sd.) Illegible,
District-Magistrate,
Bulandshahr.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर निगम, वाराणसी

विज्ञप्ति

19 जून, 2026 ई०

सं० 20/मु०क०नि०अ०/नामान्तरण उपविधि/2026-27-उत्तर प्रदेश, नगर निगम 1959 (अधिनियम सं०-2 सन् 1959) की धारा-213 एवं धारा-541 के खण्ड (42) एवं (49) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर निगम, वाराणसी (निर्धारण सूची में संशोधन एवं परिवर्तन) उपविधि-2024 बनाने का प्रस्ताव करता है। मा० सदन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को समावेशित करते हुए उसका निम्नलिखित प्रारूप नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-543 की अपेक्षा अनुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए एवं उनके सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव 30 दिन के भीतर आमंत्रित किये जाने हेतु पत्रांक संख्या-142/मी०प्र०वि०/2025-26 दिनांक 26.08.2025 के अन्तर्गत दो "दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों दैनिक जागरण" के अंक दिनांक 27.08.2025 एवं अमर उजाला के अंक दिनांक-27.08.2025 में प्रकाशित कराया गया, किन्तु निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। उक्त प्रस्तावित उपविधि को मद संख्या-18 एवं प्रस्ताव संख्या-361 के अन्तर्गत दिनांक 19.01.2026 की बैठक में मा० सदन, नगर निगम,

वाराणसी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः मा0 सदन की बैठक दिनांक 19.01.2026 में लिये गये निर्णय के अनुसार पारित (निर्धारण सूची में संशोधन एवं परिवर्तन) उपविधि-2024 को अन्तिम रूप से प्रदान करते हुए प्रस्तावित पारित उपविधि-2024 को प्रकाशित कराया जाता है जो राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी माना जायेगा, और यह उपविधि वाराणसी नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन एवं परिवर्तन) उपविधि-2024 कही जायेगी—

वाराणसी नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2024

- | | |
|---|--|
| संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ | 1. (1) यह उपविधि वाराणसी नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि 2024 कही जायेगी।
(2) यह नगर निगम वाराणसी में लागू होगी।
(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। |
| परिभाषाएँ | 2. (1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—
(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।
(ख) आबादी का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर निगम सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो।
(ग) निर्धारण सूची का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा-207 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।
(घ) संशोधन और परिवर्तन का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा-213 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।
(ङ) संपत्ति का अर्थ भवन या भूमि या दोनों, जैसा भी मामला हो, है।
(च) सम्पत्ति कर का तात्पर्य नगर निगम सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाए जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर, जल निस्तारण कर और स्वच्छता कर से है।
(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों। |
| निर्धारण सूची में
संशोधन और
परिवर्तन का
कारण | 3. (1) अधिनियम, 1959 की धारा-210 के अधीन नगर निगम कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा-213 के अधीन उल्लिखित कारणों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।
(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारणवश कराधान के लिए उत्तरदायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा। |

(3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा

(एक) पंजीकृत विक्रय-पत्र द्वारा

(दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा

(तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा,

(चार) पंजीकृत दान-पत्र द्वारा,

(पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा।

(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी—

(एक) नगर निगम सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति,

(दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (लान जेड०ए०) क्षेत्र की सम्पत्ति,

(तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो।

(चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।

(4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किये गये सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।

(5) भवन में किए गये परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया

4. (1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने, नव निर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि नगर निगम द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर निगम के नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जायेगी।

(ख) अन्यथा की स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र-1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो. के 60 दिवसों के भीतर नगर आयुक्त को अनिवार्य रूप से देगा। नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर

निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर निगम की वेब-साइट पर प्रपत्र-2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आनलाइन आवेदन करेगा।

(ख) आवेदक नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रु0 100.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा को आनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को अपलोड करेगा—

क्र० सं०	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय-पत्र विभाजन विलेख दानपत्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो जे.पी. जी. प्रारूप में	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे.पी.जी. प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में।	✓	✓	✓
4	पंजीकृत विक्रय -विलेख या दानपत्र/विभाजन विलेख (पी०डी०एफ० प्रारूप में)		✓	
5	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓		
6	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी. आई.एफ., पी.एन.जी., जे. पी.जी., जे.पी.ई.जी. पी.डी. एफ. प्रारूप में)	✓		✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी. आई.एफ., पी.एन.जी., जे.पी. जी., जे.पी.ई.जी., पी.डी. एफ. प्रारूप में)			✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	
9	पूर्व में जारी नामान्तरण-पत्र की प्रतिलिपि, यदि कोई हो।	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोद्भूत (एक) (पंजीकृत विक्रय-पत्र द्वारा) होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे तथा नियम 3 के उपनियम 3 के अन्य सभी में अधिकतम 6 माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क विनिर्दिष्ट प्रभार धनराशि का 8 प्रतिशत के साथ आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(घ) नगर आयुक्त या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम-6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जायेगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के सम्बन्ध में प्रारूप-3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जायेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जायेगी।

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामिली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो "दैनिक समाचार-पत्रों" में प्रकाशित कराई जायेगी। समाचार पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क ₹0 200/- निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों के साथ अतिरिक्त देय होगा।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किये जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियम सम्मत पाये जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायेगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण-दोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का आनलाइन निस्तारण किया जायेगा।

(3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के सम्बन्ध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा-2 के खण्ड (47) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किये जा सकेंगे।

(ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किये जाने पर अध्यासी शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ग) अध्यासन के आधार पर किये गये कर निर्धारण के विषय में वार्डवार कर निर्धारण सूची पृथक् से तैयार की जायेगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जायेगी।

(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

**हस्तान्तरण का
नोटिस दिया जाना
हस्तान्तरणकर्ता
और हस्तान्तरिती
की बाध्यता**

5. (1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना नगर आयुक्त को देंगे।

(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, नगर आयुक्त को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते ही, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो नगर आयुक्त को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस सम्बन्ध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हों तो नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक नगर आयुक्त को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा—कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

**निर्धारण सूची के
संशोधन/
परिवर्तन हेतु
प्रभारों का लगाया
जाना**

6. (1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जाएगा। प्रभार की दरें निम्नवत् होंगी—

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत, पंजीकृत विभाजन विलेख तथा पंजीकृत दान-पत्र के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होंगी—

क्र० सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	प्रभार की धनराशि (रूपये में)	प्रकाशन शुल्क
1	1000 तक	1000 /—	200 /—
2	1001—2000 तक	2000 /—	200 /—
3	2001—3000 तक	3000 /—	200 /—
4	3000 से अधिक	5000 /—	200 /—

(ख) नियम-3 के उप नियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी—

क्र० सं०	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि (रूपये में)	प्रकाशन शुल्क
1	रु० 5 लाख तक	1000 /—	200 /—
2	रु० 5 लाख से रु० 10 लाख तक	2000 /—	200 /—
3	रु० 10 लाख से रु० 15 लाख	3000 /—	200 /—
4	रु० 15 लाख से रु० 50 लाख	5000 /—	200 /—
5	रु० 50 लाख से ऊपर	10,000 /—	200 /—

(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1959 की धारा-92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति/अनुमोदन से किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हो और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उप नियम (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा।

(5) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर निगम से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभागों के साथ किया जाएगा।

**आदेश का
संशोधन का
निरस्तीकरण**

7. जहाँ नगर आयुक्त स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा—वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।

अपील

8. नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-472 के अधीन अपील कर सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, वाराणसी।

कार्यालय, नगर पंचायत काँट, जनपद-शाहजहाँपुर

27 अप्रैल, 2026 ई०

सं० 408/2/न०पं० काँट/2026—2027—नगर पंचायत काँट, शाहजहाँपुर अपने सीमान्तर्गत विज्ञापन शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2026 बनायी है। जिसमें आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। तत्क्रम में कार्यालय नगर पंचायत काँट, शाहजहाँपुर द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक:—241/न०पं०काँट/2025-26 दिनांक 11-02-2026 के द्वारा दो दैनिक समाचार-पत्र “अमर उजाला, शाहजहाँपुर एवं समृद्धि न्यूज शाहजहाँपुर” में प्रकाशन कराकर, 15 दिवस में आमजन मानस से लिखित आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये थे। जिसके सापेक्ष 15 दिवस के पश्चात् कार्यालय नगर पंचायत काँट, शाहजहाँपुर में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः पर्याप्त समय बीत जाने के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रकाशित की गयी उपविधि को उसी रूप में सरकारी प्रेस में गजट हेतु भेजा जा रहा है। निम्नवत उपविधि को गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा—

विज्ञापन शुल्क उपविधि—2026

1—**शीर्षक**:—यह नियमावली नगर पंचायत काँट, जनपद-शाहजहाँपुर “विज्ञापन शुल्क उपविधि 2026” कहलायेगी।

2—**प्रकृति**:—यह नियमावली, उत्तर प्रदेश, साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

3—**परिभाषाएं**:—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं० प्र० एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) “अधिशाली अधिकारी” से तात्पर्य नगर पंचायत काँट के अधिशाली अधिकारी से है।

(ग) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत काँट के बोर्ड से है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत काँट के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत काँट, जनपद-शाहजहाँपुर से है।

(च) नगर पंचायत सीमाओं से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) "विज्ञापन" से तात्पर्य किसी ऐसे पत्र, पत्रांक, सूचना पोस्टर, कपड़े के बैनर, कागज के छोटे पोस्टर चिपकाने वाले, साइन बोर्ड या अन्य किसी ऐसे पक्ष से है जो विज्ञापन के लिए प्रस्तुत की गई है।

(ज) "भवन" से तात्पर्य घर/दुकान/बाउन्ड्रीवॉल के प्रत्येक भाग, जिसमें बाहरी दीवारों का घेरा या भवन के किसी भाग से है, जिसमें विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

(झ) "विज्ञापनकर्ता" में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो विज्ञापन कार्य करने के लिए नियुक्त किये गए हों तथा फर्मों या कम्पनी के मालिक, स्वामी प्रतिनिधि, साझेदार या प्रबंधक आदि जिनके लिये विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

4—अधिकांश अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक नगर प्राचीन बाउन्ड्रीवॉल नगर में विद्युत या टेलीफोन के खम्बे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र जिससे किसी समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न चिपकायेगा, न प्रदर्शित करेगा, न लिखेगा, न लटकायेगा, न चित्रित करेगा।

5—नगरीय सीमान्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी प्रकार के विज्ञापन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा तथा प्राप्त आवेदन को आदर्श उपविधि में दिये गये निर्देशानुसार गुण एवं दोष के आधार पर सही पाये जाने पर ही अनुज्ञा प्रदान किये जाने सम्बन्धी अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

6—अधिकांश अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह अपने द्वारा किसी स्वीकृत आज्ञा को जनहित में रद्द कर दे।

7—नगर पंचायत काँट की सीमा के भीतर अनाधिकृत विज्ञापन लगाने पर अधिकांश अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति के ही खर्चे पर हटा दें और इस प्रकार किया गया व्यय नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत उस व्यक्ति या फर्म से वसूल कर लिया जायेगा जिसके लिये या जिसका विज्ञापन करने के लिये यह लगवाया गया था। यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर न छुड़वाया जाये तो अधिकांश अधिकारी सम्बन्धित लोगों को इसके लिये सूचना देकर ऐसे विज्ञापनों को नीलाम कर सकेगा।

8—इन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किये जाने पर लिखित शुल्क अग्रिम जमा करना होगा।

9—दर/शुल्क—

क्र० सं०	विज्ञापन का प्रकार	देय वार्षिक शुल्क	देय मासिक शुल्क
1	2	3	4
1.	भूमि, दीवार और भवन, विद्युत तथा अन्य खम्बों, सार्वजनिक स्थल और सड़कों पर विज्ञापन पट (साइन बोर्ड, होर्डिंग, बैनर, साइनेज) के निर्माण और प्रदर्शन	राजकीय राजमार्ग पर रु० 500.00 प्रति वर्ग मी०/प्रतिवर्ष राजकीय राजमार्ग से इतर मार्गों पर रु० 400.00 प्रति वर्ग मी०/प्रति वर्ष	राजकीय राजमार्ग पर रु० 50.00 प्रति वर्ग मी०/ प्रति माह राजकीय राजमार्ग से इतर मार्गों पर रु० 40.00 प्रति वर्ग मी०/ प्रति माह

1	2	3	4
2.	वॉल पेन्टिंग	राजकीय राजमार्ग पर	—
		रु० 100.00 प्रतिवर्ग मी०/ प्रतिवर्ष	—
		राजकीय राजमार्ग से इतर मार्गों पर	—
		रु० 80.00 प्रति वर्ग मी०/प्रति वर्ष	—
3.	शक्ति चलित तीन, चार पहिया वाहन एवं अन्य पर सचल विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)	हल्का वाहन (आटो रक्विशा/3, 4 व्हीलर)	—
		रु० 2,500.000 प्रति वाहन/प्रति वर्ष	—
		भारी वाहन (बस आदि)	—
		रु० 10,000.00 प्रति वाहन/प्रति वर्ष	—
4.	ध्वनि विस्तारक यंत्र	—	200.00 रु० प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन
5.	एल०ई०डी०स्क्रीन	—	प्रथम मिनट पर 25 रु० अगले मिनट प्रति हेतु 01 रु०
6.	सड़क प्रदर्शन (रोड शो)	—	तीन पहिया— रु० 25.00 प्रतिदिन चार पहिया— रु० 250.00 प्रतिदिन छः पहिया— रु० 500.00 प्रतिदिन
7.	विद्युत और इलेक्ट्रानिक युक्ति से संचालित विज्ञापन/परिवर्तनशील संदेश	रु० 600.00 प्रति वर्ग मी०/प्रति वर्ष	रु० 60.00 प्रति वर्ग मी०/प्रति माह
8.	1—पोस्टर	—	1— रु० 150.00 प्रति सैकड़ा
	2—पर्चा	—	2— रु० 300.00 प्रति सैकड़ा
	3—पताका	—	3— रु० 50.00 प्रति सैकड़ा
	4—गुब्बारे	—	4— रु० 250 प्रतिदिन
	5—छतरी (कैनोपी)	—	5— रु० 250 प्रतिदिन
9.	एक स्तम्भ (यूनी पोल)	उपर्युक्त मद सं०—01 के अनुसार	उपर्युक्त मद सं०—01 के अनुसार
10.	अन्य प्रकार के विज्ञापन (जिनका आलेख ऊपर नहीं है।)	उपर्युक्त मद सं०—01 के अनुसार	उपर्युक्त मद सं०—01 के अनुसार

नोट— निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपर्युक्त निर्दिष्ट दरों का 70 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

10— निजी भवनों पर पोस्टर/बैनर आदि चिपकाने अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी।

11— अनुज्ञा प्रदान करने की रीति— (1) सार्वजनिक नीलामी के द्वारा (2) नगर पंचायत द्वारा स्वयं।

12—यदि नगर पंचायत यह आभास करती है कि प्रदर्शित विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध है तो नगर पंचायत उसे हटा देगी।

13—दुकानों के आगे नाम पट्टिका लगे बोर्ड एवं सामाजिक संदेश देने वाले विज्ञापन पर नियमावली लागू नहीं होगी।

14— ऐसा विज्ञापन नहीं लगवाया जा सकता जो मनुष्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो, दुसरे व्यक्ति के प्रति घृणा उत्पन्न करता हो या व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर, ऐसा उत्बोधन करता/करती हो जो विवाद उत्पन्न करता हो।

15— उपरोक्त अनुसूची में विनिष्ट कर दरें अनुवृत्ति वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रदत्त होगी के 02 वर्षों की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ी हुयी समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

16—अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत काँट में यह अधिकार निहित होगा कि प्रस्तावित नियमावली से भिन्न किसी प्रकार के विज्ञापन शुल्क के सम्बन्ध में नियम सम्मत शुल्क का निर्धारण कर सकता।

17—नगर पंचायत काँट सीमान्तर्गत विज्ञापन दाता व्यक्तियों/संस्थाओं/कम्पनियों तथा नगर पंचायत के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत काँट का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो अन्तिम होगा।

18—नगर पंचायत/जिला प्रशासन/चुनाव आयोग या राज्य सरकार के द्वारा हटाये गये विज्ञापनों की क्षतिपूर्ति देय न होगी।

19—विद्युत या इलेक्ट्रानिक युक्ति से संचालित साइन बोर्ड पेड़ों/विद्युत पोलों/ट्रान्सफार्मर के खम्भों पर किसी भी दशा में दर्शित नहीं किये जायेंगे। क्रियास्क पट प्रत्येक खम्भे पर दो (आगे/पीछे) से अधिक नहीं लगाये जायेंगे। दो बैनरों के बीच की दूरी 1 फुट अनिवार्य होगी तथा कास द रोड बैनर लगाया जाना प्रतिबन्धित है।

20—उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन—परिवर्धन करने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पंचायत काँट में निहित होगा।

21—शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेश मान्य होंगे तथा नियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

नोट— उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर उल्लंघन जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है। तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थ-दण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थ-दण्ड अदा न करने पर आर0सी0 जारी करने का अधिकार अधिशाली अधिकारी को होगा तथा सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।

मुनारा बेगम,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत काँट, शाहजहाँपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत भीरा, लखीमपुर खीरी

दिनांक 16 मई, 2026

पत्रांक-1466/न०प०भीरा/2025-26 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू०पी० एक्ट संख्या 2, (1916) की धारा 298(2)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत भीरा द्वारा अपनी सीमा में “घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोखता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए उपविधि नियमावली 2025 सम्बन्धी उपविधि बनायी है, जिसे नगर पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 24.09.2025 के प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा अनुमोदित किया गया अनुमोदित उपविधि को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300 (1) के अनुसार कार्यालय के पत्रांक संख्या 1021/न०प०भीरा/(FSSM) उपविधि/2025-26, दिनांक 07 जनवरी 2026 के क्रम में दैनिक समाचार-पत्र “हिन्दुस्तान अमर उजाला” के अंक में इस आशय से उन व्यक्तियों के लिए प्रकाशन कराया गया कि जिन पर इस नियमावली का प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ने की सम्भावना है वह व्यक्ति अपने आपत्ति/सुझाव प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यालय नगर पंचायत, भीरा को प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु प्रकाशन के उपरान्त नियत समय सीमा तक किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। आपत्ति/दावा प्राप्त न होने की दशा में कमेटी बोर्ड बैठक 16.04.2026 के प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा बिना कोई संशोधन किये नियमावली की अनुमोदन सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु प्रदान किया गया।

तदोपरान्त तैयार अनुमोदित नियमावली को बिना कोई संशोधन किये हुए नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 के उपखण्ड-दो के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। प्राधिकार ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने का सक्षम ढांचा है :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019;

(ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017;

(ग) सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013;

(घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि;

(ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट-2013;

(च) आईएस कोड 2470 भाग I और II 1985 (1996 रीअफर्म्ड)-सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता;

(छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;

(ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

(झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू०पी० जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून;

1975 उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)–

ये उपविधि नगर पंचायत भीरा की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर

तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल है। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पंचायत भीरा भवनों पर लागू होगा।

1. संक्षेप शीर्षक, विस्तार और आरंभ—

(1) इन उपविधियों को फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2025 कहा जा सकता है।

(2) ये उपविधि उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर पंचायत, भीरा, खीरी में क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होगी।

2. परिभाषा—

“एक्सेस कवर” का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रखरखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो;

“अपेलेट बॉडी” निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और/या कोई अन्य सम्बन्धित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से सम्बन्धित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है;

“फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट” उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफ0एस0एस0) का भी उपचार किया जाता है;

“को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी” का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;

“विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं;

“नियुक्त अधिकारी” निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशायी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो;

“डिस्लजिंग” का तात्पर्य है लाइसेंस धारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया;

“निस्तारण” का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;

“एफ्लूयंट” का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव);

“फीकल स्लज एवं सेप्टेज” का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री;

“फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)” का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;

“ग्रे वाटर” का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है;

“होस्ट यू0एल0बी0; का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय “होस्ट” बना रहेगा;

“ईनसैनिटरी लेट्रिन्स” का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है तथा मल-कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है;

“लाइसेंस” का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होता है, जिसमें उद्देश्य समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है;

“लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर” (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो;

“अधिसूचित स्थान” का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान;

“ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)” ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भू-खण्ड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भू-खण्ड पर स्वच्छता घरेलू शौचालय के समान है, लेकिन इसमें एक ही भू-खण्ड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं;

“ऑपरेटर” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;

“मालिक” का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;

“व्यक्ति” का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल-जल उपचार/निस्तारण उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4. मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन—

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे;

उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भू-खण्ड या जल निकायों के सभी निर्गम

को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रख-रखाव करेंगे।

5. ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव—

(i) ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना “आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2” के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय-समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद, रामपुर या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

(ii) ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रख-रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

(iii) परिसर का मालिक नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट-2 में सुझाया गया है)।

(iv) परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

(v) परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत, भीरा, खीरी, के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

(vi) नियमों के पालन के लिए नगर पंचायत, भीरा, खीरी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पंचायत, भीरा, खीरी समय-सीमा के भीतर अपने खर्च पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

(vii) नगर पंचायत, भीरा, खीरी अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस—

(i) नगर पंचायत, भीरा, खीरी वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

(ii) नगर पंचायत, भीरा, खीरी अपने कर्मियों सहित ऑपरेटरों के लिए आई0ई0सी0 और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहाँ उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।

(iii) जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

(iv) नगर पंचायत, भीरा, खीरी ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

(v) इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7. लाइसेंस जारी करने की शर्तें—

(i) लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2 (xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

(ii) आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।

(iii) नगर पंचायत, भीरा, खीरी में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

(iv) आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पंचायत, भीरा, खीरी के साथ पंजीकृत करेगा।

(v) आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।

(vi) आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पंचायत, भीरा, खीरी या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मि पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

(vii) आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपनविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8. लाइसेंस के लिए आवेदन—

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। (नगर पंचायत भीरा खीरी) द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9. लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण—

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

10. लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क—

नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.01 पंजीकरण के शुल्क और वैधता—

(i) ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु. 2000.00 ।

(ii) पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 05 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(iii) लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0 1,000.00 ।

11. लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन—

नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12. जागरूकता अभियान—

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाया जाएगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)**13. संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा**

(i) भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पंचायत, भीरा, खीरी के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

(ii) मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क

(i) समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (परिशिष्ट 2 देखें)।

(ii) शहर में जब कभी नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा "शेड्यूलड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

(iv) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन—

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत, भीरा, खीरी के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।

(ii) आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

(iii) डी-स्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।

(iv) ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पंचायत, भीरा, खीरी वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(v) वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

(vi) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार (नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी) और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16. ढुलाई के दौरान सावधानी

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17. दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय—

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी—

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19. नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा—उपाय—

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20. फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण—

(i) लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

(ii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

(iii) होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21. निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार—

(i) निकाय, किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यू०एल०बी० बन जाएगा।

(ii) नगर पंचायत, भीरा, खीरी होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

(iii) नगर पंचायत, भीरा, खीरी वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।

(iv) संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा किया जाएगा।

(v) होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे “उपचार सुविधा” में निस्तारित किया जा सकता है।

(vi) एमओयू अवधि के किसी भी समय यदि “होस्ट यूएलबी” को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22. निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य—

(i) निकाय या ग्राम पंचायत [जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस नगर पंचायत, भीरा, खीरी] होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

(ii) निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

(iii) यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

(iv) नगर पंचायत, भीरा, खीरी विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(v) होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

(vi) यदि "होस्ट यूएलबी" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पालिका परिषद, रामपुर को एक नए "होस्ट यूएलबी" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23. कर्मियों का प्रशिक्षण—

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24. कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच—

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25. बीमा—

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27-03-2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

26. लाइसेंस रद्द किया जाना—

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27. उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान—

(i) नगर पंचायत, भीरा, खीरी उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद, रामपुर के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।

(ii) उपचार सुविधा के अभाव में नगर पंचायत, भीरा, खीरी आस-पास के होस्ट यूएलबी जिसमें सुचारु उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म-4 परिशिष्ट-7)।

(iii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगर पंचायत, भीरा, खीरी के आस-पास के क्षेत्र में "क्लस्टर यूएलबी" की अनुपस्थिति की स्थिति में उपचार के बुनियादी ढांचे (खण्ड-28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण—

नगर पंचायत, भीरा, खीरी जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति—

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा। (यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी)

(ii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम “उपचार सुविधा” में स्थानांतरित करने या इसे “होस्ट यूएलबी” के “उपचार सुविधा” में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (किसी भी लिंग का हो सकता है) नियुक्त करेगा। (यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा है)

30. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय—

(निकाय (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यूएलबी)) द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर (निकाय (या होस्ट यूएलबी लागू हो)) द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

31. औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है—

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण—

नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

33. उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल—

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

प्रशासन और प्रवर्तन**34. प्रशासन और प्रवर्तन—**

(i) इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

(ii) नगर पंचायत, भीरा, खीरी फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

(iii) नगर पंचायत, भीरा, खीरी शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

(iv) नगर पंचायत, भीरा, खीरी फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ई0आर0एस0यू0) नियुक्त करेगा।

35. जांच के लिए विशेष शक्ति—

इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पंचायत, भीरा, खीरी के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36. नियम उल्लंघन और जुर्माना—

(i) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

(ii) किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

(iii) इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्थिति में एफएसएस निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

(iv) जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पंचायत, भीरा, खीरी द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।

(v) संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

37. अपील—

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म-5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

38. विवाद समाधान उपविधि—

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगर पंचायत, भीरा, खीरी के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

39. फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन—

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

40. संदर्भ प्रलेख—

उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

41. डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार—

अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

42. उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश—

इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट—1

(खंड 2(xxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1] 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन

(क) आयताकार : लंबाई और चौड़ाई का अनुपात : 2 से 4

(ख) गहराई : 1.0 से 2.5 मी. के बीच

(ग) दो कक्ष : पहला कक्ष कुल लंबाई का $2/3$

(घ) तीन कक्ष : पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा

(ङ) मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर

(च) निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लम्बाई (मी0)	चौड़ाई (मी0)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी0)
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट-1: सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट-2: फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत : सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल-भाग ए: इंजीनियरिंग। सीपीएचईओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता

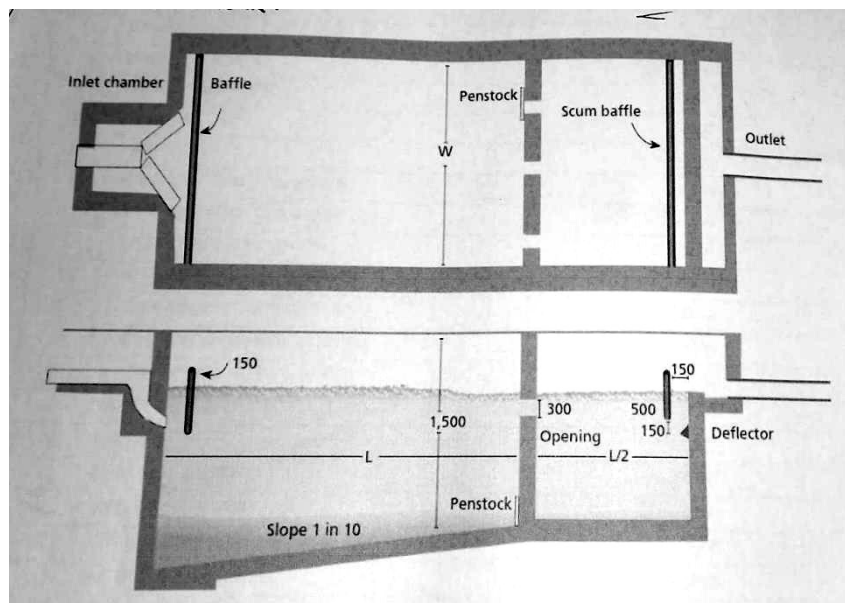
टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं :

(क) अवसादन (सेडीमेंटेशन) : निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।

(ख) फीकल स्लज डाइजेशन : डेएजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।

(ग) फीकल स्लज और मल भंडारण : फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भंडारण क्षमता $0.0002 \times 365 = 0.073 \text{ m}^3$ / कैपिटा की आवश्यकता होती है।

(घ) फ्री बोर्ड : कम से कम 0.3 मी.

सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन

परिशिष्ट-2

(खण्ड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

नगर पंचायत, भीरा, खीरी में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची

(अनुमानित)

क्र० सं०	श्रेणी	रु० में शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप)
1	2	3
1.	कच्चा घर/झोंपड़ी	350
2.	टिन शेड प्रकार का घर	750
3.	सभी अन्य घर (पक्का घर)	1000
4.	दुकान	1500
5.	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	1800
6.	बैंक	2000
7.	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय	800
8.	रेस्टोरेंट	2000
9.	होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2000
10.	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2500
11.	होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3000
12.	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	1200
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	1800
14.	3-स्टार होटल	2800
15.	5-स्टार होटल	3500
16.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1000
17.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	1200
18.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1800
19.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	2500
20.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2000
21.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2500
22.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	25000
23.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3500

1	2	3
24.	मल्टीप्लेक्स	3500
25.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1500
26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2000
27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2500
28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3000
29.	विवाह हॉल/बैंकिट हॉल	2500
30.	बार	2500
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	1500
32.	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2500
33.	नर्सिंग होम क्लीनिक (20 बेड तक)	2000
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक 20 से अधिक बेड	2500
35.	पैथलॉजिकल लैब	1500
36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2500
37.	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	2500
38.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	3500
39.	राइस मिल/अन्य मिल	2000
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3000
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	5000

स्रोत : सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट : 1—उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2—उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 4000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए, जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

(खंड : 7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए :-

(i) शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिप्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं।

- (ii) शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट।
- (iii) सर्जिकल फेस मास्क/रेस्परेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है।
- (iv) सेफ्टी टॉर्च।
- (v) भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं।
- (vi) संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स।
- (vii) टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है।
- (viii) दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आस-पास उपयोगी होते हैं। जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है।
- (ix) आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किटQ।
- (x) गैस मॉनीटर।
- (xi) हेड लैप।
- (xii) गाइड पाइप सेट।
- (xiii) सेफ्टी ट्राइपॉड सेट।
- (xiv) वेडर बूट।
- (xv) एयर कंप्रेसर और ब्लोअर।
- (xvi) मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाय ट्रॉली सिस्टम।
- (xvii) रेनकोट।

परिशिष्ट-4

(खण्ड 6(iii) और 8 देखें)

नगर पंचायत, भीरा, जनपद-खीरी

Registration form for Private Desludging Operator

फीकल स्लज एवं
सेप्टेज निकालने वाले
ऑपरेटर/ठेकेदार का
निकाय मोहर के साथ
एक पासपोर्ट साइज
फोटो

फॉर्म-1 : नगर पंचायत भीरा खीरी में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम (श्री/सुश्री) : _____
2. पता : _____
3. पंजीकृत कार्यालय का पता : _____
4. टेलीफोन नम्बर: (कार्यालय) _____

5. (मो0) : _____ ईमेल आईडी : _____

6.

12						
स0 नं0	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/ टैंकर की छमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
i						
ii						
iii						
iv						

7. लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद _____ (रसीद संख्या)

8. संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व:प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं):

दस्तावेज़ के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज़ के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज़ के प्रकार	हां/नहीं
पहचान-प्रमाण		पता-प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या :

मैं/हम, प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं, यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं, सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूंगा।

दिनांक:.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू.एल.बी. द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यू.एल.बी. द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञापतिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यू.एल.बी. द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
8. वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ septic tank waste (अंग्रेजी में) और "मलकुण्ड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 6 दिनों पर 10:00 am से 5:00 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डी-स्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5

खण्ड 6 (v) और 8 देखें

लाइसेन्स प्रारूप

नगर पंचायत, भीरा, जनपद-खीरी

फॉर्म 2 : फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना

नगर पंचायत भीरा, जनपद-खीरी में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस।

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है :

1. आवेदक का नाम: (श्री/सुश्री) : _____

2. पत्राचार का पता : _____

3. नगर पंचायत भीरा, जनपद लखीमपुर-खीरी में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्या : _____

फीकल स्लज एवं
सेप्टेज निकालने
वाले
ऑपरेटर/ठेकेदार
का निकाय मोहर के
साथ एक पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकाएं

4. मान्यता _____ से _____ तक

5. वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नम्बर: (i) _____ (ii) _____
(iii) _____ (iv) _____

लाइसेन्स, लाइसेन्स धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू.एल.बी. द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यू.एल.बी. द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यू.एल.बी. द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8. वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ septic tank waste (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों पर 09:00 am से 6:00 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डी-स्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खण्ड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड**फॉर्म 3 :** फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

नगर पंचायत भीरा, जनपद-खीरी में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए

दिनांक : समय :

I- ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण

1. नाम :

2. पता :

(क) वार्ड संख्या: (क) टेलीफोन नं०

II- रोकथाम

1. निर्माण का वर्ष

2. पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY) :

3. आउट-लेट मौजूद (हां/नहीं) :

4. यदि हां, तो किससे जुड़ा है :

5. रोकथाम के प्रकार: (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेप्टिक टैंक ट्विन		ट्वीन पिट (पंक्तिबंध)	
संग्रह टैंक		ट्विन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

6. रोकथाम का आकार और आकार: नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें

7. संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

III- कीचड़ साफ करना

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर)
2. कीचड़ निकालने में लगने वाला समय :
3. ट्रिप की लम्बाई (किमी) :
4. आने-जाने में समय :

IV- कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम :

ड्यूटी पर खाली स्टाफ F.S.S.T.P. ऑपरेटर :

ड्यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर

उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

(खण्ड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यू.एल.बी. तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4: "होस्ट यू.एल.बी." पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाइजेड निकाय (संपर्क करने वाले नगर पंचायत भीरा-खीरी) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्ट यू.एल.बी." (होस्ट निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यू.एल.बी." (होस्ट नगर पंचायत भीरा-खीरी)

द्वितीय पक्ष "एक्सवाइजेड यू.एल.बी." (संपर्क करने वाले नगर पंचायत, भीरा-खीरी)

उपबन्ध:

1. यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। /वर्ष (अंतिम तिथि)

2. "प्रथम पक्ष" अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3. यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु0 देने के लिए सहमत है।

4. यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख-रखाव बन्द आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5. कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

6. कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम पक्ष

अधिशायी अधिकारी का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष

अधिशायी अधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-8 जुर्माना और फाइन

क्र० सं०	विवरण	खण्ड संख्या	संकेतिक फाइन सीमा	जुर्माना (रु० या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
			रु०	
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50-100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50-100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10-15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओ०एस०एस० का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100-150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100-150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10-15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50-100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50-100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150-200 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16, 17	1,000-1,500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1,000-1,500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

1	2	3	4	5
			रु०	
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27, 28, 33	5,000—10,000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5,000—10,000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1,000—1,500	संपत्ति की जब्ती प्रति दिन
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज व सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000—10,000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000—10,000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1,500—2,000	वाहन की जब्ती प्रति दिन

नोट: जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिए। शहर में यू.एल.बी. जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट—9

अपील हेतु ज्ञापन

(खण्ड 37 देखें)

फॉर्म 5: अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकार के पास (पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नाम :

2. आवेदक का पता :

3. नगर पालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई

नाम : पद :

4. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई :

5. अपील दायर करने की तारीख :

6. सूचना विवरण

क. संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)

.....
.....

ख. अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)

.....

सत्यापन

मैं, ... (अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी :
 एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान : तिथि :

अनुलग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेख:

1. :

2 :

..... यहाँ फाड़ें

पावती

संख्या तिथि :

अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन :

स्थान : तिथि :

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर,
 आदेश से (नगर पंचायत, भीरा-खीरी)

(अधिशाली अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)
 (नगर पंचायत भीरा-खीरी)

परिशिष्ट—10

(खण्ड 40 देखें)

संदर्भित दस्तावेज

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है :

1. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 ।

2. उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।
4. सलाहकार नोट: शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
6. एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. आईएस: 2470-1985, सेट्रिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,
 - (क) (भाग I) डिजाइन शर्तें और निर्माण।
 - (ख) (भाग II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।
8. सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।
9. बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।
10. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
11. राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
12. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।
13. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।
14. तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।
15. सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।
16. सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
17. फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली।
18. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

ह0 (अस्पष्ट)

अध्यक्ष,

नगर पंचायत, भीरा,

जनपद—खीरी।

कार्यालय, नगर पंचायत खीरी, खीरी

18 जुलाई, 2026 ई०

सं० 106/न०प०खीरी/2025-26—दिनांक 24 फरवरी, 2026 नगर पंचायत खीरी, जनपद-खीरी द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं० 2 सन् 1916) की धारा-147 और धारा-298 की उपधारा (1) तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों एवं निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2026 के प्रस्ताव संख्या 05-02 द्वारा उपविधि बनाने हेतु अनुमोदनोपरान्त नगर पंचायत/नगर पंचायत सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाए जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर जल निस्सारण कर और स्वच्छता कर के लिये उपविधि तैयार कर आपत्ति एवं सुझाव प्रकाशन की दिनांक से 30 दिन के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वदेश प्रकाश, हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र लखनऊ में दिनांक 25 फरवरी, 2026 एवं स्पष्ट आवाज दैनिक समाचार-पत्र लखनऊ में दिनांक 26 फरवरी, 2026 को प्रकाशित कराकर मांगे गये जिस पर कार्यालय नगर पंचायत खीरी, जनपद खीरी में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः निम्नलिखित उपविधि गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी।

खीरी, नगर पंचायत (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024 का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं० 2 सन् 1916) की धारा-147 और धारा-298 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके **खीरी नगर पंचायत** जिस उपविधि के बनाने का प्रस्ताव करता है, उसका निम्नलिखित प्रारूप अधिनियम, 1916 की धारा-301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत खीरी को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जायेंगे। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा जो इस उपविधि के प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

खीरी नगर पंचायत (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2024

खीरी, नगर पंचायत (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2024 कही जायेगी।

1— संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ—

(1) यह उपविधि खीरी नगर पंचायत खीरी (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024 कही जायेगी।

(2) यह नगर पंचायत खीरी में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2— परिभाषाएँ—

(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(ख) 'आबादी' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हों और जिसका उपयोग नगर पंचायत सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो।

(ग) 'निर्धारित सूची' का तात्पर्य अधिनियम 1916 की धारा-141 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।

(घ) 'संशोधन और परिवर्तन' का तात्पर्य अधिनियम 1916 की धारा 147 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।

(ङ) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य यथा स्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(च) 'सम्पत्ति कर' का तात्पर्य नगर पंचायत/नगर पंचायत सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले सामान्य कर/भवन, जलकर जल निस्तारण कर और स्वच्छता कर से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों।

(3) निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया।

3— निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया—

(1) अधिनियम 1916 की धारा-144 के अधीन नगर पंचायत/नगर पंचायत कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम 1916 की धारा-147 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोदभूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकरण होने के पश्चात् किसी कारणवश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा।

(3) (क)— किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा—

(एक)— पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा

(दो)— पंजीकृत वसीयत द्वारा

(तीन)— पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा

(चार)— पंजीकृत दान-पत्र द्वारा

(पाँच)— विधिक उत्तराधिकार द्वारा

(ख)— किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी।

(एक)— नगर पंचायत सीमा में नव सम्मिलित आवादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति,

(दो)— गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति,

(तीन)— किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हों।

(चार)— सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।

(4)— (क)— सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख)— किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किये गये सुधार की प्रवृष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।

(5)— भवन में किए गए परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

4- सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया-

(1)- (क)- नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने नव निर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का रखकर निर्धारण करके सम्पत्ति कर की धनराशि नगर पंचायत/नगर पंचायत द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर पंचायत/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जाएगी।

(ख)- अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र-1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो के 60 दिवसों के भीतर अधिशासी अधिकारी को अनिवार्य रूप से देगा। अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2)- (क)- सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर पंचायत/नगर पंचायत को प्रपत्र 2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आवेदन करेगा।

(ख)- आवेदक नगर पंचायत/नगर पंचायत द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क जो रु० 1,00.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा, को आनलाइन करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को उपलब्ध भुगतान करायेंगा-

क्रम सं०	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र विभाजन विलेख दानपत्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	2	3	4	5
1	आवेदक की फोटो (जे०पी०जी० प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे०पी०जी० प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓	✓	✓
4	पंजीकृत विक्रय विलेख या दान-पत्र /विभाजन विलेख (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	—	✓	—
5	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓	—	—
6	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी०आई०एफ०, पी०एन०जी०, जे०पी०जी०, जे०पी०ई०जी०, पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓	—	✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत जी०आई०एफ०, पी०एन०जी०, जे०पी०जी०, जे०पी०ई०जी०, पी०डी०एफ० प्रारूप में)	—	—	✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	—
9	पूर्व में जारी नामान्तरण पत्र की प्रतिलिपि यदि कोई हो	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोदभूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात नगर पंचायत/नगर पंचायत द्वारा नियत बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(घ) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम- के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जायेगी निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के सम्बन्ध में प्रारूप 3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जायेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जायेगी।

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर पंचायत/नगर पंचायत क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराई जायेगी। समाचार-पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर पंचायत/नगर पंचायत द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर पंचायत/नगर पंचायत क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किये जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियमसम्मत पाये जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायेगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण-दोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुक्ति आदेश पारित करने हेतु अधिशासी अधिकारी को अग्रसारित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त द्य देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण किया जायेगा।

(3)— (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के सम्बन्ध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-2 के खण्ड (11) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किये जा सकेंगे।

(ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किये जाने पर अध्यासी शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ग) अध्यासन के आधार पर किये गये कर निर्धारण के विषय में वार्डवार कर निर्धारण सूची पृथक से तैयार की जायेगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जायेंगी।

(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

5— हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता—

(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना अधिशासी अधिकारी को देंगे।

(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकार के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, अधिशासी अधिकारी को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते हैं, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो अधिशासी अधिकारी को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस सम्बन्ध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5) जब ऐसी सूचना आवेदन/नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो नगर पंचायत खीरी द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक अधिशासी अधिकारी को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराये जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

6— निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना—

(1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु नगर पंचायत को प्रस्तुत किया जाये वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा। प्रभारों की दरें निम्नवत् होगी।

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होगी—

क्र० सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्गफीट में	प्रभार की धनराशि
1	2	3
		रुपये—
1—	1000 तक	1,000.00
2—	1001—2000 तक	2,000.00
3—	2001—3000 तक	3,000.00
4—	3000 से अधिक	5,000.00

(ख) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी—

क्र० सं०	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि
1	2	3
	रुपये—	रुपये—
1.	5 लाख तक	1,000.00
2.	5 लाख से 10 लाख तक	2,000.00
3.	10 लाख से 15 लाख तक	3,000.00
4.	15 लाख से 50 लाख तक	5,000.00
5.	50 लाख से अधिक	10,000.00

(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1916 की धारा-92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पंचायत बोर्ड की स्वीकृति/अनुमति से किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हो और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम-(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा।

(5) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर पालिका से सम्बन्धित कोई धनराशि देय हो तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जायेगा।

7— आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण: जहाँ अधिशासी अधिकारी स्वतः या अन्यथा ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।

8— अपील: अधिशासी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध होकर कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-160 के अधीन अपील कर सकता है।

प्रपत्र-1

(नियम-4 (1ख) देखें)

भवन निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन सम्बन्धी सूचना-प्रपत्र

1—	भवन स्वामी/अध्यासी का नाम	—
2—	भवन संख्या/आई0डी0 सहित भवन की अवस्थिति	—
3—	भवन का वर्तमान वार्षिक मूल्य	—
4—	सम्पत्ति कर भुगतान की अद्यतन रसीद सं०	—
5—	पूर्व से निर्मित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल	—
6—	नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन अंश का क्षेत्रफल	—
7—	नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के समापन की तिथि	—
8—	अध्यासन की तिथि	—

9— अन्य विवरण— यदि कोई हो।

—

स्थान—.....

हस्ताक्षर भवन स्वामी/अध्यासी

दिनांक—.....

पता—.....

मोबाइल नं०—.....

प्रपत्र-2

(नियम-4 (2) देखें)

निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन प्रपत्र

1— आवेदक का नाम, पितृ नाम और पता

2— सम्पत्ति का विवरण

(1) विक्रय और दान आदि के मामलों में—

(क) सम्पत्ति संख्या/आई0डी0 और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) अन्तरिती का नाम, पितृ नाम और पता

(ङ) हस्तान्तरण की प्रकृति-बिक्री/दान

(च) अन्तरण विलेख के निबन्धन की तिथि

(छ) कोई अन्य विवरण

(2) मृत्यु, वसीयत आधारित उत्तराधिकार के मामलों में—

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) व्यक्ति का नाम (मृत्यु तिथि सहित) पितृ नाम तथा पता जिसके सापेक्ष उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया गया है।

(ङ) आवेदक का मृतक से सम्बन्ध

(च) उत्तराधिकारियों का विवरण और अंश

(छ) उत्तराधिकार का आधार (पैतृक, वसीयत आदि)

(ज) कोई अन्य विवरण

(3) भ्रान्त कथन, भूल या लोप के मामलों में—

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की प्रकृति का विवरण

(ङ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की पुष्टि में साक्ष्य

(च) कोई अन्य विवरण

टिप्पणी— उप क्रमांक (1) (2) (3) में से यथा लागू विवरण भरें।

3— आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण—

4— अपलोड किये गये अभिलेखों का विवरण—

1	2	3	4

प्रपत्र-3

(नियम-4 (2घ) देखें)

नोटिस

श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.....निवासी.....
.....का नाम नगर पंचायत खीरी की कर निर्धारण सूची में अंकित है।

2—(1) श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.....
निवासी..... द्वारा इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि श्री/श्रीमती
.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.....की मृत्यु दिनांक
.....को हो गई है वह/वे उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं और साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किया
गया है।

(2) उनके द्वारा अपना नाम प्रविष्ट कर निर्धारण सूची को संशोधित/परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

(3) यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को उपरोक्त के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो वह/वे अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में साक्ष्यों सहित इस नोटिस के प्रकाशित/प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर नगर पंचायत खीरी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता/सकती हैं। उक्त तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक/आवेदकों का नाम सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा और कोई पश्चातवर्ती दावा, ग्रहण नहीं किया जाएगा।

सम्पत्ति का विवरण—

सम्पत्ति आई0डी0.....सम्पत्ति संख्या.....अवस्थिति.....
जारी करने की तिथि

मुहर

हस्ताक्षर

जारी करने वाले
अधिकारी का नाम
पदनाम सहित।

(ह0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत खीरी,
जनपद-खीरी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विमला देवी पत्नी विजय कुमार है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक एवं उपजिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० xxxx xxxx 0578 में मेरा नाम बिमला देवी (BIMALA DEVI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विमला देवी (VIMLA DEVI) पत्नी विजय कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विमला देवी पत्नी विजय कुमार
पता—ग्राम सरायबंशी, पोस्ट उतरांव तहसील
हण्डिया जनपद प्रयागराज ७०८००।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम उन्नती पाण्डेय (UNNATI PANDEY) पुत्री सुधीर कुमार पाण्डेय (SUDHIR KUMAR PANDEY) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 3216 7896 2550 में उसका नाम प्रगति पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम उन्नती पाण्डेय (UNNATI PANDEY) पुत्री सुधीर कुमार पाण्डेय (SUDHIR KUMAR PANDEY) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रियंका पाण्डेय पत्नी सुधीर कुमार पाण्डेय
गोरइया, सीखड़, चुनार,
जनपद मिर्जापुर, ७०८००।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अरिन्दम राय पुत्र सुबाष चन्द है। जो मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 6612 3752 9904 में उसका नाम शिवा भारद्वाज अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अरिन्दम राय पुत्र सुबाष चन्द के नाम से जाना पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुबाष चन्द पुत्र स्व० बैजनाथ
निवासी—गाँव चन्दापुर, पोस्ट
आफिस लोहता, जिला वाराणसी
७०८००।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम परमीला देवी पत्नी लल्लू यादव है जो मेरे बैंक पास बुक, गैस कनेक्सन, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल एवं उपजिलाधिकारी की जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—8036 2005 3578 में मेरा नाम सुनीता अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम परमीला देवी पत्नी लल्लू यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

परमीला देवी पत्नी लल्लू यादव,
पता—बदली का पूरा सुल्तानपुर अकबर,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम भारत भूषन पुत्र पंकज रस्तोगी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड XXXX XXXX 4216 में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार अपने पुत्र का नाम भारत भूषन से बदलकर राघव रस्तोगी “RAGHAV RASTOGI” रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को राघव रस्तोगी पुत्र पंकज रस्तोगी के नाम से जाना व पहचाना जाये। एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संगीता रस्तोगी,
पत्नी पंकज रस्तोगी.
निवासी-369/375 बीबीगंज,
लालशिवाला, सआदतगंज, जिला-लखनऊ।
उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिव प्रकाश पाण्डेय (SHIV PRAKASH PANDEY) पुत्र राम चन्दर पाण्डेय (RAM CHANDER PANDEY) है। जो मेरे बैंक पासबुक, पैन कार्ड और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 0252 में मेरा नाम भोला नाथ अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिव प्रकाश पाण्डेय (SHIV PRAKASH PANDEY) पुत्र राम चन्दर पाण्डेय (RAM CHANDER PANDEY) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शिव प्रकाश पाण्डेय पुत्र राम चन्दर पाण्डेय,
ग्राम-खानपुर उमरन पोस्ट-भदोई,
अम्बेडकर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जोहैब अहमद (ZOHAIB AHMAD) पुत्र जुबेर अहमद है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6007 में उसका नाम अली हमज़ह अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जोहैब अहमद (ZOHAIB AHMAD) पुत्र जुबेर अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जुबेर अहमद पुत्र तौफीक खान
नि0 ग्राम कजियापुर संसारीपुर मीरानपुर,
सुल्तानपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर0 के0 पुत्र राजकुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 3299 में अंकित है। जो उसका संक्षिप्त नाम है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार अपने पुत्र का नाम आर0 के0 से बदलकर उसका पूरा नाम राजकमल पुत्र राजकुमार रख लिया है भविष्य में मेरे पुत्र को राजकमल पुत्र राजकुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

केशरी देवी पत्नी राजकुमार
पता ग्राम बबुरिहा पोस्ट कुर्सी निन्दुरा,
बाराबंकी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व यादव पुत्र लक्ष्मी चन्द्र यादव है, जो उनके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के

आधार कार्ड सं0—XXXX XXXX 0970 में किशन यादव हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम—अथर्व यादव पुत्र लक्ष्मी चन्द्र यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लक्ष्मी चन्द्र यादव पुत्र सभाजीत
ग्राम—सांडी कला, सराय भोगी,
जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जसोदा (Jasoda) पुत्री ग्यादीन है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 7293 में मेरा नाम जशोदा (Jashoda) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जसोदा पुत्री ग्यादीन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जसोदा पुत्री ग्यादीन,
नि0 ग्राम पूरवा पोस्ट भंडरा तहसील मऊरानीपुर,
पुरुवा झाँसी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मृत्युंजय चौहान (Mritunjay Chauhan) पुत्र संजय कुमार (Sanjay Kumar) है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 9071 में उसका नाम मयंक कुमार चौहान (Mayank Kumar Chauhan) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मृत्युंजय चौहान (Mritunjay Chauhan) पुत्र संजय कुमार (Sanjay Kumar) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संजय कुमार
पता—C/o अनिल कुमार
2H/8P/20R O.P.S. नगर
कालिन्दीपुरम् प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शौर्य मिश्रा (SHAURYA MISHRA) पुत्र रजनीश मिश्रा (RAJNISH MISHRA) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 0002 में उसका नाम अबीर मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है।

भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शौर्य मिश्रा (SHAURYA MISHRA) पुत्र रजनीश मिश्रा (RAJNISH MISHRA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रजनीश मिश्रा पुत्र शिव लाल मिश्रा,
40/1, मालवीय नगर, ऐशबाग,
राजेन्द्र नगर लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वीरु गुप्ता (VEERU GUPTA) पुत्र सुशील (SUSHIL) है। जो मेरे बैंक पासबुक, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशनकार्ड और श्रीमान उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6163 में मेरा नाम अजय कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वीरु गुप्ता (VEERU GUPTA) पुत्र सुशील (SUSHIL) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

वीरू गुप्ता पुत्र सुशील
ग्राम—अचलगंज पोस्ट—अचलगंज, उन्नाव,
उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यांशू यादव पुत्र कमलेश कुमार यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या xxxx xxxx 2360 में उसका नाम दीपांशु यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिव्यांशू यादव पुत्र कमलेश कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कमलेश कुमार यादव पुत्र श्री धर,
नि0 सोनोटी झूंसी
जिला प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आरव दुबे (Aarav Dubey) पुत्र इन्द्रेण कुमार दुबे है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या—6536 4152 5333 में उसका नाम आयुष दुबे (Ayush Dubey) अंकित हो गया है। जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आरव दुबे (Aarav Dubey) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

इन्द्रेण कुमार दुबे,
पता—ग्राम चम्पापुर महुआपुर पोस्ट जंघई बाजार,
थाना सराय ममरेज, जिला प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम भोनू यादव पुत्र स्व0 हीरा यादव है जो मेरे परिवार रजिस्टर की नकल, बिजली बिल, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, खतौनी व उप जिलाधिकारी जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं—xxxx xxxx 5426 में मेरा नाम बच्चेलाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भोनू यादव पुत्र स्व0 हीरा यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

भोनू यादव पुत्र स्व0 हीरा यादव,
नि0 ग्राम भगवतीपुर पोस्ट व थाना चौबेपुर,
वाराणसी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कशिश श्रीवास्तव (KASHISH SRIVASTAVA) पुत्री श्री कैलाश नाथ श्रीवास्तव (KAILASH NATH SHRIVASTAVA) है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या—3904 1220 1659 में मेरा नाम अवि श्रीवास्तव (AVI SRIVASTAV) अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कशिश श्रीवास्तव पुत्री श्री कैलाश नाथ श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कशिश श्रीवास्तव पुत्री कैलाश नाथ श्रीवास्तव
ग्राम—मंगल नगर, पोस्ट—भैरमपुर,
जनपद—गोण्डा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम “प्रव्या आहूजा” (Pravya Ahuja), पुत्री रवि

कुमार आहूजा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेखों एवम् जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित हैं।

मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपनी पुत्री का नाम "प्रव्या टी आहूजा" (Pravya T Ahuja) रख लिया है।

भविष्य में मेरी पुत्री को "प्रव्या टी आहूजा" (Pravya T Ahuja), पुत्री रवि कुमार आहूजा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रवि कुमार आहूजा पुत्र श्री राज कुमार आहूजा
पलैट न-एस-1, आकांक्षा टावर,
117-एच-1/431/53, मॉडल टाउन,
पांडु नगर, हंस नगर, कानपुर नगर,
उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम इफतेखार आलम पुत्र हैदर अली है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 9598 7565 6352 में मेरा नाम नसीर अहमद अंकित है जो कि गलत है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम इफतेखार आलम पुत्र हैदर अली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

इफतेखार आलम पुत्र हैदर अली,
पता-ग्राम-ममरखा, जगदीशपुर,
तहसील-हण्डिया, जनपद-प्रयागराज
उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम गेंदा देवी पत्नी राम दुलारे है जो मेरे परिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, बिजली बिल, गृह कर, बैंक पास

बुक, व उप जिलाधिकारी जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं-xxxx xxxx 3494 में मेरा नाम गेंदा देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गेंदा देवी पत्नी राम दुलारे के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

गेंदा देवी पत्नी राम दुलारे
नि० 72/2सी, पुरा फतेह मोहम्मद नैनी,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विटा देवी पत्नी स्व० रामसेवक त्रिपाठी है जो कि मेरे बैंक पास बुक, भारत निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर, तथा पति के सेवा सम्बंधी अभिलेख तथा उपजिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-5031 9670 1164 में मेरा नाम बिट्टन देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है मेरा सही नाम विटा देवी (VITA DEVI) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विटा देवी पत्नी स्व० रामसेवक,
निवासिनी ग्राम रसूलपुर ब्यूर,
पो० औधन चायल कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अन्या मौर्या (ANYA MAURYA) पुत्री विनोद कुमार मौर्या है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधारकार्ड संख्या 3139 5594 7375 में उसका नाम परी मौर्या अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अन्या मौर्या (ANYA MAURYA) पुत्री विनोद कुमार मौर्या के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विनोद कुमार मौर्या पुत्र लल्लन प्रसाद,
निवासी रामनगर, पण्डितपुर,
जिला-वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राय साहब पुत्र मोसिम अली है जो कि मेरे बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर, निर्वाचन कार्ड, राशनकार्ड तथा उपजिलाधिकारी के जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-6743 6174 3403 में मेरा नाम लल्लन खां अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राय साहब पुत्र मोसिम अली के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त से सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रायसाहब पुत्र मोसिम अली
निवासी-डोमनपुर, पण्डा,
बरिकला, वारी कला,
तहसील-पट्टी, प्रतापगढ़, उ०प्र०

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रंगीले लाल पुत्र सहदेव है जो कि मेरे बैंक पासबुक, जन्म प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर, नरेगा जाब कार्ड, निर्वाचन कार्ड तथा उपजिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रंग लाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रंगीले लाल पुत्र स्व० सहदेव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

रंगीले लाल पुत्र स्व० सहदेव,
ग्राम कटका घोडेडीह करछना,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम छवि यादव (CHHAVI YADAV) पुत्री महावीर सिंह (MAHAVEER SINGH) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 5398 में मेरा नाम छवि अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम छवि यादव (CHHAVI YADAV) पुत्री महावीर सिंह (MAHAVEER SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

छवि यादव पुत्री महावीर सिंह
ग्राम-हरदुआ पोस्ट-जाखौली जालौन,
उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुनील कुमार (SUNIL KUMAR) पुत्र राम सेवक (RAM SEVAK) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख, निर्वाचन कार्ड और पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 7288 0450 6247 में मेरा नाम शिववीर सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुनील कुमार (SUNIL KUMAR) पुत्र राम सेवक (RAM SEVAK) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुनील कुमार पुत्र राम सेवक,
नगला इन्द्रजीत, प्रतापनेर,
इटावा, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम PASI SHIVAMKANT SURYAKANT (पासी शिवमकांत सुर्यकांत) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में

अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 5742 4856 9680 में मेरा नाम PASI SHIVAMKANT (पासी शिवमकांत) अंकित हो गया है, जो कि गलत हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम PASI SHIVAMKANT SURYAKANT (पासी शिवमकांत सुर्यकांत) पुत्र सूर्यकांत पासी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पासी शिवमकांत सुर्यकांत पुत्र सूर्यकांत पासी,
निवासी—प्रधानपुर, जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नंदीनी सिंह (NANDINI SINGH) पुत्री अरविंद सिंह (ARVIND SINGH) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 3061 में मेरा नाम नंदनी सिंह (NANDANI SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नंदीनी सिंह (NANDINI SINGH) पुत्री अरविंद सिंह (ARVIND SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नंदीनी सिंह पुत्री अरविंद सिंह
ग्राम कीर्तिपुर पोस्ट—करियाव कारियों,
संत रविदास नगर, मोंढ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शनि मौर्या (Sunny Maurya) पुत्र संतोष मौर्या है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 1349 में उसका नाम सनी मौर्या (Sani Maurya) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शनि मौर्या पुत्र संतोष मौर्या के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संतोष मौर्या पुत्र तुलसीराम मौर्या
नि० अमहट गोराबारिक सुल्तानपुर उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम दिव्यांशी (DIVYANSHI) पुत्री दीपचंद्र (DEEPCHANDRA) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 1656 में उसका नाम आकांक्षा भारतीया अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम दिव्यांशी (DIVYANSHI) पुत्री दीपचंद्र (DEEPCHANDRA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सविता देवी पत्नी स्व० दीपचन्द्र,
गंगोत्री नगर, डांडी नैनी प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंजू (ANJU) पुत्री राकेश कुमार (RAKESH KUMAR) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 8691 में उसका नाम सुनैना अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंजू (ANJU) पुत्री राकेश कुमार (RAKESH KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कुसुमा देवी पत्नी राकेश कुमार
भोजपुर फरुखाबाद, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम यशस्वी चक्रवाल (YASASHVI CHAKRAWAL) पुत्री मनोज चक्रवाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-9567 4647 7759 में उसका नाम यश्वी चक्रवाल अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री उसके सही नाम यशस्वी चक्रवाल (YASASHVI CHAKRAWAL) पुत्री मनोज चक्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनोज चक्रवाल

पुत्र स्व0 सत्यनारायण प्रसाद

निवासी-बी 21/198 कमच्छा, भेलूपुर, छित्तपुर,
जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम लक्ष्मी सिंह (LAKSHMI SINGH) पुत्री सुनील कुमार यादव (SUNIL KUMAR YADAV) है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 4429 में उसका नाम लुक्ष्मी यादव (LUXMI YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम लक्ष्मी सिंह पुत्री सुनील कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनील कुमार यादव पुत्र विनोद यादव

निवासी ग्राम-फतुहा,

पोस्ट हनुमानगंज प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कीर्ति खत्री पुत्री जयरामदास खत्री है यही नाम मेरे

समस्त शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-6579 0607 5305 में मेरा नाम कीर्ति मध्यान्ह (Kirti Mandhyan) हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मुझे कीर्ति खत्री (Kirti Khatri) पुत्री जयरामदास खत्री के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें स्वयं शपथिनी द्वारा पूर्ण की गयी है।

कीर्ति खत्री

पुत्री श्री जयरामदास खत्री

निवासिनी-भवन सं. एस-6/2, चन्दर

नगर, आलमबाग, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवम पाण्डेय (SHIVAM PANDEY) पुत्र प्रभात कुमार पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0-4735 1288 0117 में उसका नाम (SHIVM PANDEY) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवम पाण्डेय (SHIVAM PANDEY) पुत्र प्रभात कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रभात कुमार पाण्डेय पुत्र प्रभाकर पाण्डेय

निवासी-बरसोमा, जयसिंहपुर,

जिला-सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम देवांश निषाद पुत्र कमल किशोर है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल0आई0सी0 पालिसी सं0 233650977 में मेरा नाम "आशीष" अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम देवांश निषाद पुत्र कमल किशोर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

देवांश निषाद पुत्र कमल किशोर,
निवासी-160ई डिफेन्स कालोनी,
जाजमऊ, शिवांश टेनरी,
कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुज गौतम पुत्र पुत्तन लाल है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल0आई0सी0 पालिसी सं0 230890040 मे मेरा नाम "नितिन कुमार" अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनुज गौतम पुत्र पुत्तन लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनुज गौतम पुत्र पुत्तन लाल,
निवासी-ए-76 एम0आई0जी
बर्ग 8 कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रियंका देवी (Priyanka Devi) पुत्री जगत पाल पत्नी नीरज कुमार है। जोकि मेरे निर्वाचन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 7903 में मेरा नाम "पिंकी देवी" अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रियंका देवी (Priyanka Devi) पुत्री जगत पाल पत्नी नीरज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रियंका देवी पुत्री जगत पाल,
पत्नी नीरज कुमार,
निवासिनी-तुलसीयापुरवा
कठौंगर कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रद्धा मिश्रा (Shraddha Mishra) पुत्री अरुण कुमार मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 8496 में उसका नाम Shradha अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रद्धा मिश्रा पुत्री अरुण कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

निर्मला मिश्रा पत्नी अरुण कुमार मिश्रा
नि0 होलागाडा कान्धभारी पोस्ट कुरसहा,
जिला बहराइच कंधभारी श्रावस्ती उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सिद्धांत मिश्रा (Siddhant Mishra) पुत्र अरुण कुमार मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9868 में उसका नाम Shidhant अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सिद्धांत मिश्रा पुत्र अरुण कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

निर्मला मिश्रा पत्नी अरुण कुमार मिश्रा
नि0 होलागाडा कान्धभारी पोस्ट कुरसहा,
जिला बहराइच कंधभारी श्रावस्ती उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनिल कुमार (Anil Kumar) पुत्र सहादेव है। जोकि मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर, खतौनी एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे

आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 9594 मे मेरा नाम पप्पू अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनिल कुमार (Anil Kumar) पुत्र सहादेव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनिल कुमार (Anil Kumar) पुत्र सहादेव
निवासी ग्राम बिवाइन, मो० बेवाइन, बेवान
कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सृष्टि मिश्रा (Shrishti Mishra) पुत्री अरुण कुमार मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 2114 में उसका नाम Shiristi अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सृष्टि मिश्रा पुत्री अरुण कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

निर्मला मिश्रा पत्नी अरुण कुमार मिश्रा,
होलागाडा कान्धभारी पोस्ट कुरसहा,
जिला बहराईच कंधभारी श्रावस्ती, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र राम नरेश श्रीवास्तव है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या— 7750 9349 8020 में मेरा नाम शैलेश कुमार अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र राम नरेश श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
ग्राम— सुरवल चन्देल, नारी बारी,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s TARUN TEXTILE, 86/11 Kalpi Road Deputy Ka Parao Kanpur Nagar 208001 का पंजीयन दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 पत्रावली सं० KAP/0010312 पर पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 जनवरी, 2016 के अनुसार तरुण गर्ग व श्रीमती रुचि गर्ग साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार फर्म में श्री शिवांश गर्ग पुत्र श्री तरुण गर्ग निवासी 10/459—ए खलासी लाइन कानपुर 208002 को शामिल कर है। वर्तमान में श्री तरुण गर्ग, श्रीमती रुचि गर्ग व श्री शिवांश गर्ग साझीदार है।

तरुण गर्ग
पार्टनर,

M/s TARUN TEXTILE, 86/11 Kalpi Road,
Deputy Ka Parao Kanpur Nagar.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० सपना थियेटर, 343 रानी मण्डी, मसानी, जिला मथुरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री ओमप्रकाश, श्री सुनील कुमार, श्रीमती मिथलेश अग्रवाल, श्रीमती राज रानी अग्रवाल, श्रीमती बिन्दु अग्रवाल, श्री कन्हैया लाल नारायण दास बतीजा श्री अनिल गोयल, श्री सुनील गोयल, श्री सुशील गोयल हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक— 10 जून, 1984 को संचालन की थी। श्रीमती के०के० बतीजा दिनांक 09 जून, 1984 को फर्म पंजीकरण से पूर्व ही फर्म से पृथक हो गई थी। दिनांक 01 जनवरी, 1988 को श्री ओमप्रकाश, श्री अनिल गोयल, श्री सुशील गोयल, श्री सुनील गोयल, श्री कन्हैया लाल नारायण दास

बतीजा फर्म से पृथक हो गये है। दिनांक 01 जनवरी, 1988 को फर्म के पुराने नाम सपना थियेटर को परिवर्तित कर नया नाम रूपम टॉकिज कर दिया गया है। दिनांक 02 दिसम्बर, 2004 को श्री ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई है। श्रीमती बिन्दु अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 31 जुलाई, 2009 को हो गई है एवं श्री कृष्ण मुरारी गर्ग दिनांक 06 अगस्त, 2009 को फर्म में सम्मिलित हो गये है। श्री सुनील कुमार की मृत्यु दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को हो गई है एवं दिनांक 22 नवम्बर, 2015 को श्रीमती मंजू गर्ग फर्म में सम्मिलित हो गई है। श्री कृष्ण मुरारी गर्ग की मृत्यु दिनांक 22 जुलाई, 2024 को हो गई है एवं दिनांक 23 जुलाई, 2024 को श्री सोनल गर्ग एवं श्री शोभित गर्ग फर्म में सम्मिलित हो गये है। दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को श्री वरुण गर्ग, श्री तरुण गर्ग, श्री मुदित गर्ग, श्री मयंक अग्रवाल फर्म में साझेदार हो गये है एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को श्रीमती राजरानी अग्रवाल फर्म से पृथक हो गई है। दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से अब फर्म को श्रीमती मिथलेश अग्रवाल, श्रीमती मंजू गर्ग, श्री वरुण गर्ग, श्री तरुण गर्ग, श्री मुदित गर्ग, श्री मयंक अग्रवाल, श्री सोनल गर्ग, श्री शोभित गर्ग, हम सभी साझेदार के रूप में संचालित कर रहे है।

श्रीमती मिथलेश अग्रवाल,
साझेदार,
मे० सपना थियेटर, 343 रानी मण्डी,
मसानी, जिला मथुरा।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स BRAHMADITYA HP, NH-27, VILL. AATA ORAI KANPUR ROAD. ORAI DISTT-JALAUN, UP वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है। —

1. REENA SINGH
2. ANUPAMA DWIVEDI

दिनांक 03 जुलाई, 2026 से साझेदारों की आपसी सहमती द्वारा फर्म को बंद किया जा रहा है।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

REENA SINGH
साझेदार,
मेसर्स,
BRAHMADITYA HP
NH-27, VILL. AATA ORAI,
KANPUR ROAD, ORAI, DISTT-JALAUN.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में० गोकुल फिलिंग स्टेशन, गाटा सं० 327 ग्राम बुधौरा कुम्भापुर परगना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 21 जनवरी, 2026 को प्रारम्भ की गयी थी। जिसमें साझेदार श्री सिंह अक्षय प्रताप पुत्र श्री विनोद कुमार सिंह निवासी ग्राम शिवसत, तिवारीपुर, दिलीपपुर प्रतापगढ़ एवं श्री अजीत प्रताप पुत्र श्री राम जस निवासी ग्राम गनईडीह, पोस्ट सराय गनई, प्रतापगढ़ फर्म में साझेदार थे। साझेदारों के आपसी सहमति से फर्म का नाम परिवर्तित किया गया है। दिनांक 23 जुलाई, 2026 से फर्म का नाम गोकुल फिलिंग स्टेशन से परिवर्तित होकर एस.बी.एस फिलिंग स्टेशन हो गया है तथा वर्तमान में फर्म के नाम से किसी भी प्रकार का शासकीय भुगतान ऋण अथवा बकाया नहीं हैं।

अजीत प्रताप,
साझेदार,
पुराना नाम मे० गोकुल फिलिंग स्टेशन
नया नाम मे० एस.बी.एस फिलिंग स्टेशन,
गाटा सं० 327, ग्राम बुधौरा कुम्भापुर,
परगना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० अजय कन्सट्रक्शन डी/1, बैंक रोड, प्रयागराज दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को प्रारम्भ की गयी थी। फर्म में श्री अजय प्रकाश पाण्डेय पुत्र श्री हरी मोहन पाण्डेय निवासी 11-डी/1. बैंक रोड, प्रयागराज, श्री हरी मोहन पाण्डेय पुत्र स्व० एस०एन० पाण्डेय निवासी 11-डी/1.

बैंक रोड, प्रयागराज, मन्जू पाण्डेय पुत्री स्व० राम मुनी शुक्ल निवासी 11-डी/1, बैंक रोड, प्रयागराज एवं श्री अभिजीत पाण्डेय पुत्र श्री अजय प्रकाश पाण्डेय निवासी 11-डी/1, बैंक रोड, प्रयागराज साझीदार थे। फर्म में श्री अजय प्रकाश पाण्डेय का आकस्मिक निधन दिनांक 10 जुलाई, 2024 को हो गया है। श्री अभिजीत पाण्डेय दिनांक 13 फरवरी, 2025 को फर्म से रिटायर हो गये हैं तथा श्री अनिकेत पाण्डेय पुत्र श्री अजय प्रकाश पाण्डेय निवासी 11-डी/1, बैंक रोड, प्रयागराज दिनांक 13 फरवरी, 2025 को फर्म में सम्मिलित हुए हैं।

मन्जू पाण्डेय
साझेदार,
में० अजय कन्सट्रक्शन
डी/1, बैंक रोड, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विद्युत एसोसिएट्स पता 9, बजरिया जीटी रोड़, आर्य गेस्ट हाउस, जिला गाजियाबाद, उ०प्र० की पार्टनर्स शिप डीड दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को हुई थी, संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 07 मार्च, 2025 के अनुसार फर्म में दो साझीदार 1. श्री नकुल राघव 2. श्री अंशुमन गुप्ता थे। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 02 सितम्बर, 2025 के अनुसार फर्म में से साझेदार नं० 2. श्री अंशुमन गुप्ता अपनी इच्छानुसार इस फर्म से अलग हो गये हैं, तथा अब इनका इस फर्म में कोई लेन-देन बाकी नहीं है, तथा अब इनके स्थान पर सर्वसम्मती से नये साझेदार 'श्री धर्म नाथ सिंह जी को सम्मिलित किया गया, जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से उन्हें व सभी साझेदारों को है। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 02 सितम्बर, 2025 के अनुसार वर्तमान में अब इस फर्म में दो साझेदार 1. श्री नकुल राघव 2. श्री धर्म नाथ सिंह रहेंगे।

नकुल राघव,
साझेदार,
मेसर्स विद्युत एसोसिएट्स
9, बजरिया जीटी रोड़, आर्य गेस्ट हाउस,
जिला गाजियाबाद, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सार्थक सोनी पुत्र शैलेश कुमार है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश उसके आधार संख्या-7264 8613 7241 में मेरे पुत्र का नाम सोमिल सोनी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सार्थक सोनी पुत्र शैलेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शैलेश कुमार,
लक्ष्मनपुर, पोस्ट त्रिवेदीगंज,
जिला-बाराबंकी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सिद्धार्थ सोनी पुत्र शैलेश कुमार है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-2876 6023 3989 में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश अनन्त सोनी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सिद्धार्थ सोनी पुत्र शैलेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूरी की गई हैं।

शैलेश कुमार,
लक्ष्मनपुर पोस्ट-त्रिवेदीगंज,
जनपद बाराबंकी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष जायसवाल (KRISH JAISAWAL) पुत्र मनोज जायसवाल MANOJ JAISAWAL है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 2774 0562 5047 में आदित्य जायसवाल हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष जायसवाल पुत्र मनोज जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मनोज जायसवाल पुत्र पंचम जायसवाल,
सी 21/डी 2 रूपनपुर,
वाराणसी उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जय सिंह (JAY SINGH) पुत्र जय मेजर सिंह है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधारकार्ड सं०-5504 5973 5017 में उसका नाम रुद्र प्रताप सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जय सिंह पुत्र जय मेजर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संतोष सिंह पत्नी जय मेजर सिंह,
ग्राम कुंजलपुर, तहसील मनकापुर,
जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम जयश्री (JAYSHREE) पुत्री सुभाष चन्द्र (SUBHASH CHANDRA) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 7846 में मेरी पुत्री का नाम खुशी (KHUSHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जयश्री (JAYSHREE) पुत्री सुभाष चन्द्र (SUBHASH CHANDRA) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुभाष चन्द्र पुत्र राम खेलावन,
ग्राम-भोपतपुर अब्दालपुर खास तहसील सोरांव,
जनपद प्रयागराज, उ० प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सोम साहू (Som Sahu) पुत्र शिव कुमार साहू है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9228 में उसका नाम सौम्य अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सोम साहू पुत्र शिव कुमार साहू के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिव कुमार साहू पुत्र गंगा प्रसाद साहू,
फाफामऊ गद्दोपुर प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नूरुल्लाह अब्दुल रऊफ खान पुत्र अब्दुल रऊफ खान है जो मेरे परिवार रजिस्टर की नकल, निर्वाचन कार्ड, खतौनी व उप जिलाधिकारी जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 1468 में मेरा नाम नूरुल्लाह अब्दुलराउफ खान अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नूरुल्लाह अब्दुल रऊफ खान पुत्र अब्दुल रऊफ खान के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नूरुल्लाह अब्दुल रऊफ खान,
पुत्र अब्दुल रऊफ खान
ग्राम गुलरिया पोस्ट मुडिला नानकार,
इटवा सिद्धार्थनगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मुदस्सिर अंसारी (MUDASSIR ANSARI) पुत्र मोहीत अनवर है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में

अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 4513 3620 1536 में उसका नाम मुद्दाशी अंसारी (MUDDASHI ANSARI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मुदस्सिर अंसारी (MUDASSIR ANSARI) पुत्र मोहीत अनवर से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शबाना परवीन पत्नी मोहीत अनवर,
म0नं0 398, मवई खुर्द इस्लामपुर, मुगलसराय,
जिला चन्दौली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विवान मौर्य पुत्र प्रदीप कुमार मौर्या है जो कि उसके आधार कार्ड सं0 2706 6315 7738 एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के स्कूल में उसका घरेलू नाम अविनाश कुमार मौर्य हो गया है। भविष्य में मेरे पुत्र को विवान मौर्य पुत्र प्रदीप कुमार मौर्या के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रदीप कुमार मौर्या पुत्र माता प्रसाद मौर्या,
538 क 1534, त्रिवेणीनगर, सीतापुर रोड,
लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम नीलम राजपूत (NEELAM RAJPUT) पुत्री राम चन्दर है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 0383 में उसका नाम फूलन देवी (FULAN DEVI) अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नीलम राजपूत (NEELAM RAJPUT) पुत्री राम चन्दर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रामचन्द्र पुत्र राम सजीवन,
पसका, गोंडा, पास्का, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रत्ना (RATNA) पुत्री कमल पाठक (KAMAL PATHAK) है, जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 5056 में उसका नाम अस्मिता पाठक अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रत्ना (RATNA) पुत्री कमल पाठक (KAMAL PATHAK) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कमल पाठक पुत्र लक्ष्मण पाठक,
ग्राम गुदगुदियापुर पोस्ट कौड़िया,
कौरिया गोंडा, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनामिका पुत्री राजेश त्रिपाठी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या— XXXX XXXX 1901 में उसका नाम PRANSHI TIWARI अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनामिका पुत्री राजेश त्रिपाठी के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरी द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राजेश त्रिपाठी पुत्र उमा नाथ तिवारी,
कुंदनगंज करनपुर रायबरेली उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मुनेंद्र साकेत (MUNENDRA SAKET) पुत्र राम कुमार साकेत (RAM KUMAR SAKET) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— XXXX XXXX 0949 में उसका नाम MUNENDRA अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मुनेंद्र साकेत पुत्र राम कुमार साकेत के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राम कुमार साकेत पुत्र मोहन लाल साकेत,
पुत्रा पड़ाईन झोपड़पट्टी,
दारागंज इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनीषा वर्मा है। जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र, उपजिलाधिकारी की जांच आख्या, परिवार रजिस्टर की नकल, अंकपत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 8202 8575 4363 में अशीषा पुत्री रचना देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री का सही नाम अनीषा वर्मा पुत्री कमलेश कुमार के नाम से जाना पहचाना जायें।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कमलेश कुमार पुत्र नन्दलाल,
मनकुवारं तह० मऊ जिला चित्रकूट उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री के आधार कार्ड नम्बर 7349 2379 1079 में त्रुटिवश

उसका नाम इस्म (ISM) पुत्री मो० वसीम (Mohammad Vasim) लिख गया है, जब कि उसका सही नाम इरम फातिमा (IRAM FATIMA) पुत्री मोहम्मद वसीम है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में भी दर्ज है।

मोहम्मद वसीम पुत्र मुख्तार अहमद,
ग्राम मेहनपारा मंजरे जगमलपुर,
थाना व तहतील गौरीगंज जनपद अमेठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शौर्य चक्रवर्ती (Shaurya Chakrawarti) पुत्र अमित कुमार चक्रवर्ती (Amit Kumar Chakrawarti) है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9471 1465 3360 में उसका नाम सौर्य चक्रवर्ती (Saury Chakravarti) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शौर्य चक्रवर्ती (Shaurya Chakrawarti) पुत्र अमित कुमार चक्रवर्ती (Amit Kumar Chakrawarti) के नाम से जाना पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं द्वारा पूर्ण की गई है।

अमित कुमार चक्रवर्ती पुत्र तुलसीराम,
ग्राम व पो० भुड़कुडा,
तहसील-चुनार, जिला-मीरजापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम MOHD. AYAN KHAN पुत्र सरवर रजी खॉन है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 6509 3536 3900 में उसका नाम AYAN KHAN अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम MOHD. AYAN KHAN पुत्र सरवर रजी खॉन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

फौजिया खान पत्नी सरवर रजी खॉन,
वार्ड नं०- 2 परसीपुर सिराथू,
जिला-कौशाम्बी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वीरेंद्र चौहान पुत्र लक्ष्मण सिंह है जोकि मेरे आधार कार्ड व शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। मेरे स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक न रह पाने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के सुझाव पर मैंने अपना नाम वीरेंद्र चौहान से बदल कर विराज सिंह चौहान रख लिया है। भविष्य में मुझे विराज सिंह चौहान पुत्र लक्ष्मण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

वीरेंद्र चौहान पुत्र लक्ष्मण सिंह चौहान,
179, परदेवनपुर, लाल बंगला,
कानपुर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवांश सिंह सूर्यवंशी (DEVANSH SINGH SURYAVANSHI) पुत्र दिनेश सिंह (DINESH SINGH) है। जोकि उसके शैक्षिक अभिलेखों व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 9350 में उसका नाम देव सिंह (DEV SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवांश सिंह सूर्यवंशी (DEVANSH SINGH SURYAVANSHI) पुत्र दिनेश सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दिनेश सिंह पुत्र श्याम नारायण सिंह,
105/ए-3, गाँधी ग्राम रामादेवी, जी. टी. रोड,
कानपुर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्र (Rudra) पुत्र अश्वनी कुमार उपाध्याय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 2800 में उसका नाम रुद्रांश (Rudransh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्र पुत्र अश्वनी कुमार उपाध्याय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अश्वनी कुमार उपाध्याय पुत्र शिव प्रसाद उपाध्याय,
करीमउद्दीनपुर अटरामपुर उर्फ नवाबगंज,
प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विपिन यादव (Vipin Yadav) पुत्र रामानन्द यादव है वो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 5772 में मेरा नाम विपिन कुमार यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विपिन यादव पुत्र रामानन्द यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विपिन यादव पुत्र रामानन्द यादव,
नगरौली, गौरी बाजार देवरिया उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम तनिष्क जायसवाल पुत्र मुकेश कुमार जायसवाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-8300 0983 7896 ने उसका नाम यंश जायसवाल अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम

तनिष्क जायसवाल पुत्र मुकेश कुमार जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मुकेश कुमार जायसवाल,
पुत्र रवि शंकर जायसवाल,
कुवांडीह, पोस्ट सरायइनायत, फूलपुर,
हनुमानगंज, जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कप्तान अली पुत्र रज्जबअली है जो मेरे परिवार रजिस्टर निर्वाचन कार्ड भू-लेख खतौनी ग्रामीण बैंक पास बुक, तथा उपजिलाधिकारी के जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं-2046 8825 0354 में मेरा नाम दानी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कप्तान अली पुत्र स्व० रज्जबअली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

कप्तान अली पुत्र स्व० रज्जबअली,
ग्राम लोहगरा, पो० लोहगरा,
तहलील बारा, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आकर्ष पुत्र शिव प्रताप है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 8742 में उसका नाम शास्त्रिक चौधरी अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आकर्ष पुत्र शिव प्रताप के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिव प्रताप पुत्र राम दास,
ग्राम व पोस्ट-बहादुरपुर थाना-कलवारी,
जिला-बस्ती, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पृथ्वीनाथ जायसवाल पुत्र पन्नालाल जायसवाल है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं०-XXXX XXXX 3580 में मेरा नाम बच्चन अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पृथ्वीनाथ जायसवाल पुत्र स्व० पन्नालाल जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पृथ्वीनाथ जायसवाल,
पुत्र स्व० पन्नालाल जायसवाल,
ग्राम चुर्क, सोनभद्र, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आदिश यादव (AADISH YADAV) पुत्र पारस नाथ यादव है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 5655 8530 2243 में मेरा नाम सुजल यादव अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आदिश यादव पुत्र पारस नाथ यादव के नाम से जाना एवं पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आदिश यादव पुत्र पारस नाथ यादव,
गाँव केशरीपुर पोस्ट भुलनपुर,
जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रतिष्ठा सिंह (Pratistha Singh) पुत्री राजन सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 8405 में

उसका नाम रीतिका सिंह (Ritika Singh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रतिष्ठा सिंह पुत्री राजन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजन सिंह पुत्र अमरपाल सिंह,
सराय बैरिहा खेड़ा, मलके गांव लालगंज,
रायबरेली उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम गुड्डू पुत्र नन्दलाल है, जो कि मेरे बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड, जॉब कार्ड एवं उपजिलाधिकारी की जाँच रिपोर्ट में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8474 2128 0879 में मेरा नाम जयप्रकाश अंकित हो गया है, जो कि गलत है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गुड्डू पुत्र नन्दलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गुड्डू पुत्र नन्दलाल,
विजयपुर, मीरजापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम अशिका शर्मा (ASHIKA SHARMA) पुत्री कुंजबिहारी शर्मा (KUNJBIHARI SHARMA) है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0- 6028 3650 4015 में उसका नाम अंशिका शर्मा अंकित हो गया है जो की गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम अशिका शर्मा (ASHIKA SHARMA) पुत्री कुंजबिहारी शर्मा (KUNJBIHARI SHARMA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कुंजबिहारी शर्मा पुत्र जगदीश,
घुवास खुर्द, वार्ड नं0-09,
पोस्ट व तहसील राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम दीक्षा दीक्षित (DIKSHA DIXIT) पुत्री अजीत दीक्षित (AJEET DIXIT) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 1118 में उसका नाम इक्षा दीक्षित (IKSHA DIXIT) अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दीक्षा दीक्षित (DIKSHA DIXIT) पुत्री अजीत दीक्षित (AJEET DIXIT) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

अजीत दीक्षित पुत्र ब्रजेश दीक्षित,
सुल्तानपुर रोड फहतेपुर, बक्कास,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम माही दीक्षित (MAHI DIXIT) पुत्री अजीत दीक्षित (AJEET DIXIT) है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 4614 में उसका नाम मानी दीक्षित (MANI DIXIT) अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम माही दीक्षित (MAHI DIXIT) पुत्री अजीत दीक्षित (AJEET DIXIT) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

अजीत दीक्षित पुत्र ब्रजेश दीक्षित,
सुल्तानपुर रोड फहतेपुर, बक्कास,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शौर्य मिश्र (Shaurya Mishra) पुत्र प्रदीप कुमार मिश्रा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9853 में उसका नाम Kulbhaskar Mishra अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शौर्य मिश्र पुत्र प्रदीप कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनीता मिश्र पत्नी प्रदीप कुमार मिश्रा,
मानापुर सिंधौर चमरूपुर शुक्लान,
जिला प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रहित कुमार कन्नौजिया (Rahit Kumar Kannaujiya) पुत्र अशोक कुमार है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6659 में मेरा नाम रोहित कुमार कन्नौजिया अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रहित कुमार कन्नौजिया पुत्र अशोक कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रोहित कुमार कन्नौजिया पुत्र अशोक कुमार,
अस्पताल मड़ियाहू, मरियहू,
जौनपुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वैष्णवी (Vaishnavi) पुत्री प्रमोद कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 7095 5896 9571 में उसका नाम परी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में

मेरी पुत्री को उसके सही नाम वैष्णवी (Vaishnavi) पुत्री प्रमोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रमोद कुमार पुत्र राम लाल,
532/42 ख मेंहदी टोला अलीगंज,
लखनऊ उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रत्यक्ष द्विवेदी पुत्र जनमेजय द्विवेदी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व आधार कार्ड में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार अपने पुत्र का नाम प्रत्यक्ष द्विवेदी से बदलकर अद्वैत द्विवेदी रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अद्वैत द्विवेदी (Advait Dwivedi) पुत्र जनमेजय द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्वेता द्विवेदी पत्नी जनमेजय द्विवेदी
हण्डिया मंडा खास माण्डा मेजा,
प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम उमा (Uma) है पुत्री उमाशंकर मिश्रा है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री उमा के आधार कार्ड सं० 9201 8532 9766 में उसका नाम Srashti है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम उमा से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

उमाशंकर मिश्रा,
सुरसेन पोस्ट वरद्वारा, सुरसेन सरधुआ,
जनपद चित्रकूट।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या जायसवाल पुत्री विकास चंद जायसवाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0 7463 7728 9090 ने उसका नाम पीहू अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री के उसके सही नाम आराध्या जायसवाल पुत्री विकास चंद जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विकास चंद जायसवाल,
पुत्र अविनाश चन्द्र जायसवाल,
कुवांडीह, पोस्ट सरायइनायत, फूलपुर,
हनुमानगज, जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आदित्य कुमार पुत्र कल्लू प्रसाद है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9396 4035 5548 से मेरा नाम बददन अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आदित्य कुमार पुत्र कल्लू प्रसाद के जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विविध औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आदित्य कुमार पुत्र कल्लू प्रसाद,
इटवा, रामनगर, चित्रकूट उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम समर्थ (SAMARTH) पुत्र राम भवन (RAM BHAWAN) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 1693 में

मेरा नाम शिवदीप चौधरी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम समर्थ (SAMARTH) पुत्र राम भवन (RAM BHAWAN) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

समर्थ पुत्र राम भवन,
98-अ, दानपुर इलिफात गंज
अम्बेडकर, नगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रियंका देवी (Priyanka Devi) पुत्री बलराम है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9229 में मेरा नाम प्रेमला देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रियंका देवी पुत्री बलराम के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रियंका देवी पुत्री बलराम,
मकदूमपुर मजरे सेमौरी सुल्तानपुर घोष,
फतेहपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जीतू नारायण जायसवाल (JEETU NARAYAN JAISWAL) पुत्र विजय कुमार जायसवाल (VIJAY KUMAR JAISWAL) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 0441 में मेरा नाम जीत नारायण जायसवाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जीतू नारायण जायसवाल (JEETU NARAYAN JAISWAL) पुत्र विजय कुमार जायसवाल (VJAY KUMAR JAISWAL) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जीतू नारायण जायसवाल,
पुत्र विजय कुमार जायसवाल,
हेनवतर भादी, शाहगंज जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नमामि पाण्डेय (Namami Pandey) पुत्री राकेश पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 0797 में उसका नाम नैवेद्या अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नमामि पाण्डेय पुत्री राकेश पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

गीता पाण्डेय पत्नी राकेश पाण्डेय
करवी रोड मऊ पोस्ट मऊ मुस्तकिल,
चित्रकूट उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रियांशी (PRIYANSHI) पुत्री मनीष (MANISH) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 5867 में मेरा नाम प्रिंसी (PRINCI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रियांशी (PRIYANSHI) पुत्री मनीष (MANISH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रियांशी पुत्री मनीष,
बजरिया रोड, गणेशगंज, उरई,
जालौन, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हनुमान प्रसाद (HANUMAN PRASAD) पुत्र राम नारायण है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-9062 7524 2674 में मेरा नाम कबीर चौधरी हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हनुमान प्रसाद (HANUMAN PRASAD) पुत्र स्व.राम नारायण से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

हनुमान प्रसाद पुत्र स्व.राम नारायण,
भगवती नगर, ग्रामर एकेडमी, कौशलपुरी,
फैजाबाद उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नितेश कुमार मिश्र (NITESH KUMAR MISHRA) पुत्र कृष्ण कुमार मिश्र है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-2700 8509 4834 में उसका नाम नितेश मिश्रा हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नितेश कुमार मिश्र (NITESH KUMAR MISHRA) पुत्र स्व० कृष्ण कुमार मिश्र नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुमन देवी पत्नी कृष्ण कुमार मिश्र,
रमईपुर दिशनी, पृथ्वीगंज, प्रतापगढ़ उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रत्नदीप सिंह (Ratna Deep Singh) पुत्र सुरेश नारायण सिंह (Suresh Narayan Singh) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 0268 में मेरा नाम रतन दीप सिंह

(Ratan Deep Singh) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रत्नदीप सिंह पुत्र सुरेश नारायण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रत्नदीप सिंह पुत्र सुरेश नारायण सिंह,
हुसैनपुर बलिया उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम माही सिंह (MAHI SINGH) पुत्री विनोद कुमार सिंह (VINOD KUMAR SINGH) है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-XXXX XXXX 5154 में उसका नाम वैभवी सिंह (VAIBHAVI SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम माही सिंह (MAHI SINGH) पुत्री विनोद कुमार सिंह (VINOD KUMAR SINGH) के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरी द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विनोद कुमार सिंह पुत्र राम विनय सिंह,
मकान सं- 3, ग्राम जलालपुर जगनन्दनपट्टी,
पोस्ट कौड़िया, थाना कप्तानगंज,
तहसील बूढनपुर, जनपद आजमगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकर्षा नारायण (Aakarsha Narayan) पुत्री अमित कुमार सोनकर है जो कि उसके आधार कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्री का नाम आकर्षा नारायण से बदल कर केशवी नारायण रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को केशवी नारायण (Keshavi Narayan) पुत्री अमित कुमार सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अमित कुमार सोनकर
C-105 एच० ए० एल०, टाउनशिप,
कोरवा (अमेठी), उ० प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्चित यादव (ARCHIT YADAV) पुत्र विमल कुमार यादव (VIMAL KUMAR YADAV) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 1586 में उसका नाम शुभ यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्चित यादव पुत्र विमल कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विमल कुमार यादव पुत्र ब्रज राज सिंह यादव
230 एन, ब्लॉक यशोदा नगर,
किदवई नगर, कानपुर, उ0प्र0।

NOTICE

It is hereby informed to the general public that the correct name of my son is MOHD FAIZ S/o MOHD SABIR, as recorded in his educational documents- Due to and inadvertent error, his name has been mentioned as SHAHENSHAH in his Aadhar Card No- 4044 2316 3456, which is incorrect, Henceforth, my son shall be known and identified by his correct name, MOHD FAIZ S/o MOHD SABIR.

It is further certified that all legal formalities have been completed by me.

MOHD SABIR.
R/o- VILLAGE TAKSARA, PO SHAHGANJ,
POLICE STATION INAYATNAGAR,
DIST-AYODHYA.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम उर्मिला पत्नी राम लखन है, जो कि मेरे परिवार रजि० नकल, खतौनी, विद्युत कनेक्सन रसीद, गैस पास बुक तथा उपजिलाधिकारी सोरांव की जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 4549 6983 8057 में मेरा नाम हृदियही अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम उर्मिला पत्नी राम लखन के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

उर्मिला पत्नी राम लखन,
जगदीशपुर, मसनी अटरामपुर सोरांव,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंजली यादव पुत्री जय प्रकाश यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 5977 में उसका नाम आंचल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंजली यादव पुत्री जय प्रकाश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है। कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जय प्रकाश यादव पुत्र कल्लू यादव,
खड़िया चितावनपुर केवटान विंध्याचल मऊ,
विंध्याचल मिर्जापुर उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम गर्व कश्यप (GARV KASHYAP) पुत्र ललित कुमार (LALIT KUMAR) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9664 में उसका नाम यश अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम गर्व कश्यप

(GARV KASHYAP) पुत्र ललित कुमार (LALIT KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

ललित कुमार पुत्र राधे श्याम
M-101/2, संजय गांधी पुरम,
डी०आर०वी० इन्टर कालेज इन्दिरा नगर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम थ्रेसियामा इ पी (THRESIAMMA E P) पुत्री फिलिपोस (PHILIPOSE) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-5821 8330 3309 में मेरा नाम रोसेलीन्ड एरानीकाटू अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम थ्रेसियामा इ पी (THRESIAMMA E P) पुत्री फिलिपोस (PHILIPOSE) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

थ्रेसियामा इ पी पुत्री फिलिपोस
सेन्ट मेरी कॉन्वेंट, 44-कैण्ट,
वाराणसी, कैण्ट उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चित्ररेखा देवी (CHITRAREKHA DEVI) पत्नी हरिश्चन्द्र यादव (HARISHCHANDRA YADAV) है जो कि मेरे जलकर रसीद, पति के पेंशन अभिलेख, गृहकर बिल, निर्वाचन कार्ड एवं उपजिलाधिकारी के जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 5758 में मेरा नाम चित्रलेखा यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चित्ररेखा देवी (CHITRAREKHA DEVI) पत्नी हरिश्चन्द्र यादव (HARISHCHANDRA YADAV) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है। कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

चित्ररेखा देवी पत्नी हरिश्चन्द्र यादव,
265डी, कुम्हार गढ़वा तिलक नगर,
अल्लापुर, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इशिता (ISHITA) पुत्री ओम प्रकाश है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या xxxx xxxx 7035 में उसका नाम Ershita अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इशिता पुत्री ओम प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ओमप्रकाश पुत्र दशरथ,
अकबरपुर सल्लाहपुर, मनौरी,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लालती देवी पत्नी जगदीश यादव है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, नकल खतौनी राशन कार्ड व उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 3822 5361 7247 मे मेरा नाम इन्द्रा कुमारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य मे मुझे मेरे सही नाम लालती देवी पत्नी जगदीश यादव नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मे द्वारा पूर्ण की गयी है।

लालती देवी पत्नी जगदीश यादव,
ग्राम गोगौर पो०— महमदपुर भाव कुण्डा,
जनपद— प्रतापगढ़।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रोशन लाल (ROSHAN LAL) पुत्र राज कुमार (RAJ KUMAR) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या xxxx xxxx 4102 में उसका नाम रोशनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रोशन लाल (ROSHAN LAL) पुत्र राज कुमार (RAJ KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राज कुमार पुत्र सुखई,
ग्राम देवाना, पोस्ट लक्खारामपुर,
विशेश्वरगंज बहराइच, श्रावस्ती, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य वर्मा (ADITYA VERMA) पुत्र संतोष कुमार है, जो कि उसके आधार कार्ड सं० 9815 3556 3436 और जाति/निवास प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के स्कूल में उसका नाम आदित्य कुमार (ADITYA KUMAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य वर्मा (ADITYA VERMA) पुत्र संतोष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संतोष कुमार,
ग्राम देनुआ, उसरौली, जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आयुषी चौबे पुत्री सुनील कुमार चौबे है जो उसके अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के

आधार कार्ड सं०-2678 4115 4477 में उसका नाम आरूषी चौबे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को सही नाम आयुषी चौबे पुत्री सुनील कुमार चौबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शिवांगी चौबे पत्नी सुनील कुमार चौबे
कुंडलिया, बरछा चंदौली, उ० प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नैन्सी रामजीत चौहान (NANCY RAMJIT CHAUHAN) पुत्री रामजीत चौहान है। जो कि उसके जन्म प्रमाणपत्र एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 3595 में उसका नाम चुहान नैन्सी (CHUHAN Nainsi) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नैन्सी रामजीत चौहान (NANCY RAMJIT CHAUHAN) पुत्री रामजीत चौहान के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त, विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रामजीत चौहान पुत्र रामकिशोर चौहान,
कटरा रानी, मनीरामपुर धरई माफी,
मुंशीगंज अमेठी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नेहाल यादव पुत्र जय प्रकाश यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-6723 3391 1282 में उसका नाम नवीन यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नेहाल यादव पुत्र जय प्रकाश यादव के नाम से जाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताओं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मीरा यादव पत्नी जय प्रकाश यादव,
युसुफपुर खानपुर, हैदराबाद आजमगढ़,
पुष्प नगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिफत परवेज (Shifat Parvez) पुत्री परवेज अहमद है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9289 में मेरा नाम शिफत परवेज (Shifat Parvez) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही शिफत परवेज (Shifat Parvez) पुत्री परवेज अहमद पत्नी कलीमुर रहमान के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिफत परवेज पुत्री परवेज अहमद,
पत्नी कलीमुर रहमान,
5/9 क्लाइव रोड सिविल लाइन,
प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरे पुत्र का सही नाम-आदर्श पाठक (ADARSH PATHAK) पुत्र मनोज कुमार पाठक है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटि वश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 8249 0802 8366 में उसका नाम आदर्श पाठक (ADARSH PATHAK) अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदर्श पाठक (ADARSH PATHAK) पुत्र मनोज कुमार पाठक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की।

मनोज कुमार पाठक पुत्र जगत मोहन पाठक,
डाला बाजार, रामलीला मैदान के पीछे,
कोटा सोनभद्र, पत्रही सोनभद्र, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रणजीत राम (RANJEET RAM) पुत्र रामप्रवेश राम है जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड नं०-6810 6722 0891 में मेरा नाम पल्लू राम अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रणजीत राम पुत्र रामप्रवेश राम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त से सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रणजीत राम पुत्र रामप्रवेश राम,
ग्राम-बकैनियाँ, पोस्ट-देवकली,
तहसील-सेवराई, जिला-गाजीपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम महिमा देवी पुत्री दशरथ लाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9254 6994 1828 मे मेरा नाम अन्नि देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम महिमा देवी पुत्री दशरथ लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

महिमा देवी पुत्री दशरथ लाल,
ग्राम बेन्दुली भवानीपुर उपाध्याय,
थाना कोतवाली-इटियाथोक,
तहसील व जनपद-गोण्डा, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरे पुत्र का सही नाम आव्यान अग्रवाल (AAVYAAN AGRAWAL) पुत्र मनीष कुमार अग्रवाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 7398 6335 7649 में उसका नाम अव्यान

अग्रवाल (AVYAAN AGARWAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आव्यान अग्रवाल (AAVYAAN AGARWAL) पुत्र मनीष कुमार अग्रवाल के नाम से जाना व पहचान जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मनीष कुमार अग्रवाल पुत्र राकेश कुमार अग्रवाल,
11A/1A, रामनगर कटरा वजीर खां,
रामबाग कुबेरपुर, यमुना ब्रिज आगरा उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम युवराज सोनी (Yuvraj Soni) पुत्र मनीष कुमार सेठ है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 7074 में उसका नाम यूराज सोनी अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम युवराज सोनी पुत्र मनीष कुमार सेठ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मनीष कुमार सेठ
ग्राम हुसैनीपुर कंसापुर महाराजगंज,
संतरविदास नगर, भदोही, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आदित्य यादव (ADITYA YADAV) पुत्र अशोक यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 5780 में उसका नाम प्रिंस यादव (PRINCE YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य यादव (ADITYA YADAV) पुत्र अशोक यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अशोक यादव पुत्र हरख नरायन यादव,
सरैया, पोस्ट सादत, सादत गाजीपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राम सुरेमन पुत्र स्व० मुंशी लाल है। जो कि मेरे खतौनी, परिवार रजिस्टर, निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड एवं उपजिलाधिकारी की जांच आख्या मे अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 5341 5764 4356 मे मेरा नाम राम शिरोमणि पटेल (RAM SHIROMANI PATEL) अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राम सुरेमन (RAM SUREMAN) पुत्र स्व० मुंशी लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध से समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राम सुरेमन पुत्र स्व० मुंशी लाल,
ग्राम पिपरी, पौ० चरवा,
परगना व तहसील चायल कौशाम्बी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिमरन कुमारी (SIMRAN KUMARI) पुत्री पूरन (POORAN) जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-XXXX XXXX 7421 में मेरा नाम त्रुटिवश शिमला (SIMLA) अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मुझे सिमरन कुमारी (SIMRAN KUMARI) पुत्री पूरन (POORAN) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सिमरन कुमारी पुत्री पूरन,
लाल नगर, बिशुनपुर, बेल भरिया,
गोंडा, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम तेजस प्रताप सिंह यादव (TEJAS PRATAP SINGH YADAV) पुत्र करन सिंह (KARAN SINGH) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 1223 में उसका नाम तेजस्व प्रताप यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम तेजस प्रताप सिंह यादव (TEJAS PRATAP SINGH YADAV) पुत्र करन सिंह (KARAN SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

करन सिंह पुत्र अमर सिंह,
ग्राम इस्माईलपुर गुरुसहागंज, कन्नौज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पायल चौहान (PAYAL CHAUHAN) पुत्री राजू चौहान जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं०-XXXX XXXX 1828 में पुत्री का नाम नीतू चौहान (NEETU CHAUHAN) अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को पायल चौहान (PAYAL CHAUHAN) पुत्री राजू चौहान के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अनीता देवी पत्नी राजू चौहान
ग्राम मेघई खास, पो० नरहन खास,
थाना-जीयनपुर, जिला आजमगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रानी निषाद (RANI NISHAD) पुत्री राम नारायण

निषाद है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 7308 0419 6227 में मेरा नाम रीना (REENA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रानी निषाद (RANI NISHAD) पुत्री राम नारायण निषाद के नाम जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रानी निषाद पुत्री राम नारायण निषाद,
ग्राम साढ़ापुर, पोस्ट गोनौली, तहसील बदलापुर,
जनपद जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रजनीश कुमार (RAJNISH KUMAR) पुत्र राम चन्द्र (RAM CHANDRA) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 5374 में उसका नाम अंकित (Ankit) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रजनीश कुमार (RAJNISH KUMAR) पुत्र राम चन्द्र (RAM CHANDRA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रीता देवी पत्नी राम चन्द्र,
भाटाडीहा, देहरा टीकर गोरखपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शुभम गौतम (Shubham Gautam) पुत्र चन्द्रबली है जो मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 2295 में मेरा नाम अमन अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शुभम गौतम पुत्र चन्द्रबली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शुभम गौतम पुत्र चन्द्रबली,
ग्राम पिहितियापुर कवेली जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदर्श यादव (Adarsh Yadav) पुत्र सुरजन सिंह यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 2122 में उसका नाम उत्कर्ष यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदर्श यादव पुत्र सुरजन सिंह यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पुष्पा यादव पत्नी सुरजन सिंह यादव
99, बगई कला, बगई खुर्द प्रयागराज उ०प्र०।
हाल पता 35ए/1ए, जोंधवल तेलियरगंज,
प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य वर्मा (ADITYA VERMA) पुत्र उमेश कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० XXXXX XXXXX 8323 में उसका नाम आदित्य (ADITYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य वर्मा (ADITYA VERMA) पुत्र उमेश कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

उमेश कुमार सिंह, पुत्र अलयनारायण,
ग्राम भरहरिया पोस्ट सकलपुर जिला वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अजय कुमार चौधरी (AJAY KUMAR CHAUDHARY) पुत्र राम राज चौधरी (RAM RAJ CHOUDHARY) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 4606 में मेरा नाम राजीव कुमार (RAJEEV KUMAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अजय कुमार चौधरी (AJAY KUMAR CHAUDHARY) पुत्र राम राज चौधरी (RAM RAJ CHAUDHARY) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अजय कुमार चौधरी पुत्र राम राज चौधरी,
ग्राम गुलरिहा पोस्ट: कलवारी, बहादुरपुर
बस्ती, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम युवराज सिंह (Yuvraj Singh) पुत्र राजीव कुमार सिंह हैं जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० xxxx xxxx 4975 में उसका नाम एवरज सिंह (Evraj Singh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम युवराज सिंह (Yuvraj Singh) पुत्र राजीव कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजीव कुमार सिंह,
ग्राम पटेहरा, चील्ह, मीरजापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दिक्षा सिंह (DIKSHA SINGH) पुत्री तेज बहादुर सिंह (TEJ BAHADUR SINGH) है। जो मेरे

शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 8615 में मेरा नाम मुस्कान (MUSKAN) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दिक्षा सिंह (DIKSHA SINGH) पुत्री तेज बहादुर सिंह (TEJ BAHADUR SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दिक्षा सिंह पुत्री तेज बहादुर सिंह,
मऊ अमेठी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बेबी सुमन सिंह (BEBI SUMAN SINGH) पुत्री राजेश्वर सिंह (RAJESHWAR SINGH) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 7890 में मेरा नाम सुमन सिंह (SUMAN SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बेबी सुमन सिंह (BEBI SUMAN SINGH) पुत्री राजेश्वर सिंह (RAJESHWAR SINGH) पत्नी अजीत कुमार सिंह W/o AJEET KUMAR SINGH के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बेबी सुमन सिंह पत्नी अजीत कुमार सिंह,
फतेहपुर करहा मऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सान्या सिंह (Sanya Singh) पुत्री शैलेंद्र कुमार सिंह है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं० 8246 0062 5515 में उसका नाम देवांशी काकन अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री

को उसके सही नाम सान्या सिंह (Sanya Singh) पुत्री
शैलेन्द्र कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के
सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा
पूर्ण की गई हैं।

शैलेन्द्र कुमार सिंह,
ग्राम असलपुर करमी पोस्ट चिरैया कोट,
जिला मऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0
श्री श्याम जी ट्रेडर्स, शिव कॉलोनी, तरफरा रोड, चॉमड
गेट, हाथरस पत्रावली संख्या-HAT-18894 पर पंजीकृत
है। फर्म में दिनांक 01.09.2024 से श्री धर्मेन्द्र कुमार
गोयल तथा श्री चेतन गोयल पार्टनर थे। संशोधित डीड
के अनुसार दिनांक 01.04.2026 को श्रीमती नीलम गोयल
पत्नी श्री धर्मेन्द्र कुमार गोयल, निवासी-गली बिलौना,
मोहल्ला नाथूराम, थाने के पीछे, कासगंज को फर्म की
साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा तद्दिनांक
को ही श्री चेतन गोयल पुत्र श्री विनीत कुमार गोयल,
निवासी-मोहल्ला नाथूराम थाने के पीछे, गली बिलौना,
कासगंज, फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक्
हो गये हैं। वर्तमान में श्री धर्मेन्द्र कुमार गोयल तथा
श्रीमती नीलम गोयल 2 ही हिस्सेदार रहेंगे।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण
की गई हैं।

धर्मेन्द्र कुमार गोयल,
साझेदार,
मे0 श्री श्याम जी ट्रेडर्स,
शिव कॉलोनी, तरफरा रोड,
चॉमड गेट, हाथरस।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री
का सही नाम प्रतीक्षा यादव (PRATIKSHA YADAV)
पुत्री विपिन कुमार यादव है जो कि उसके आधार कार्ड
सं0 XXXX XXXX 1463 व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है।
त्रुटिवश मेरी पुत्री के कक्षा 8 (Class-8) की मार्कशीट में
उसका नाम PRATIKHA YADAV अंकित हो गया है
जो कि गलत है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम
प्रतीक्षा यादव (PRATIKSHA YADAV) पुत्री विपिन
कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के
सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा
पूर्ण की गई हैं।

विपिन कुमार यादव पुत्र हरपाल यादव,
मं0नं0 9999/6, पिपरौली, साउथ सिटी,
रायबरेली रोड, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
वास्तविक नाम कु0 लाजो गुप्ता (KM LAJO GUPTA)
पुत्री राम बाबू गुप्ता है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में
अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX
3880 में मेरा नाम काजल गुप्ता (KAJAL GUPTA)
अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे
सही नाम कु0 लाजो गुप्ता (KM LAJO GUPTA) पुत्री
राम बाबू गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के
सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा
पूर्ण की गई हैं।

कु0 लाजो गुप्ता पुत्री राम बाबू गुप्ता,
पत्नी अरविन्द कुमार,
कुवांडीह पोस्ट सराय इनायत,
फूलपुर हनुमानगंज इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।